

SHRI RAJNARAIN : I understand.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : When you sit here, you will understand it better. Sitting there it is very difficult for you to appreciate the position of that person, fortunate or unfortunate, who occupies this Chair. Please listen.

श्री राजनारायण : मैं एग््रीशिएट करता हूँ यह चीज अब से ठीक 10 मिनट पहले ही खत्म हो गई होती ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Please listen to me. I have followed only the conventions as have been followed by my predecessors, also by the Chairman and the Deputy Chairman. When a matter, under special circumstances, is allowed to be mentioned, only the person who takes the permission is allowed to mention it. No comment is allowed on that account. Following that principle, I have said that anything said after that should not be recorded. I feel you are perfectly within your rights. You can challenge it according to the rules. You can appeal against it. I may be wrong; but that is my definite opinion.

श्री राजनारायण : यह संसदीय प्रथा का सवाल है । इस पर मुझे आपसे एक निवेदन करना है । मान लीजिए चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति ने कोई बात कही जो उस समय उतनी ही गलत थी जितनी इस समय है उस समय सदन के सदस्यों ने ख्याल नहीं किया, चला गया और . . ) मैं इस चीज को फाइट आउट करना चाहता हूँ । चेयर को यह कहने का अधिकार नहीं है कि चेयर किसी भी प्रोसी. डिंग को काट दिया जाय । इस बात को कि "आप सरकार को निदेश दें कि सरकार इस पर बयान करे और इसकी जांच करें कि अरुना आसफजली को रुपया कहाँ से मिला है" निकाल देने की अनुमति देना, मेरी समझ में, संसद को बिल्कुल भंग करने के समान होगा । इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप कोई व्यवस्था दिया करें तो वह व्यवस्था डिगनीफाइड हो, वह व्यवस्था डेमो-

क्रेटिक रूल्स के अन्दर हो, वह असंसदीय न हो, अजनतंत्रीय न हो, अशोभनीय न हो । आपकी व्यवस्था इन तीनों लाइनों पर गलत है ।

**I. RESOLUTION SEEKING DIS  
APPROVAL OF THE BANARAS  
HINDU UNIVERSITY (AMEND  
MENT) ORDINANCE, 1969 (No. 7 of  
1969)—contd.**

**II. THE BANARAS HINDU UNI  
VERSITY (AMENDMENT) BILL,  
1969—contd.**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Chatterjee.

SHRI A. P. CHATTERJEE : Mr. Vice-Chairman, Sir, Now the Banaras Hindu University (Amendment) Bill has come up before the House. In my opinion, Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a temporary measure no doubt, but the very fact that such a Bill has been brought betrays and shows the very nasty rot from which the Banaras Hindu University has been suffering. Now I will give you a caution in the very beginning that when I say that the university has been suffering from a rot, I do not mean and I do not want to say and I do not want to agree and certainly I do not agree with those persons who, well, clamour that students should have no part in politics, students should not have any say in the affairs of the university, students should not be given organisational facilities and freedom inside the university campus. In fact and in my opinion, Mr. Vice-Chairman, Sir, if a rot inside a university has to be removed, then perhaps the only predominant part of the university community. I mean the community which really matters because I think that it is the young blood which matters inside a university, only that young blood, that student community, should be given more and more, greater and greater say in the affairs of the university. It is true that sometimes a flood comes with tempestuous speed, and that flood may break the dykes, may break the embankments. But it is also to be remembered that the veTy flood, which breaks the dykes and embankments, it is that same flood which carries away the filth and the

pollution of the river and makes the water safe and healthy and wholesome. So it is really the participation, healthy participation of the students, unobstructed, untrammelled by any kind of obstruction or restriction, any kind of, well, dogma, or any kind of prejudice, well, that kind of student movement, that kind of student participation in the affairs of a university, it is that participation only which can make a university saner and more wholesome. Therefore, Mr. Vice-Chairman, Sir, in my opinion—and I am expressing it with some amount of emphasis—the students should be taken to be an integral and a very important part of the university community and they should have greater and greater say in the affairs of the University. I think—and I must give that credit to Dr. Triguna Sen—perhaps when he went to the Banaras Hindu University he found out this aspect of the matter and he tried to associate with himself the student community of the Banaras Hindu University and to the extent he associated the student community with him in the administration of the University. I think to that extent he was successful during his tenure as Vice-Chancellor. We found that the University was staggering; it may be staggering but yet it was staggering towards sanity. It may not have been walking with sober steps but at least we had seen that if it was not walking with sober steps it was at least staggering towards sanity.

As far as the incidents which have given rise to this Bill are concerned, those incidents of the 6th, 7th and 8th December 1968, the incidents which have happened subsequently and also the incidents which had happened before are all incidents over which we have to be sorry but let us not like the poet say that we look before and after and then we become indescribably sad and say that we pine for what is not. Let that not be our attitude. We must look before and after but we must find out a solution, and the solution has to be found out not through this Bill but through some other measures. One very important thing that is sadly lacking in this Bill is this that as far as this Bill is concerned there is no whisper of student participation in management of the affairs of the University. It is true that as far as the Gajendra-gadkar Commission is concerned, it has

tried to be fair, rather unduly fair and unduly impartial. By trying to be unduly fair and unduly impartial it has tried to blame the student community as a whole. I have looked at the Report of the Gajendragadkar Commission and I think that the Gajendragadkar Commission has tried to lay it on with a trowel over the entire student community.

SHRI SUNDAR SINGH BHAN-  
DARI : It is just a Committee.

SHRI A. P. CHATTERJEE : I accept the amendment. The Gajendragadkar Committee has tried to blame the student community as a whole but, Mr. Vice-Chairman, partiality is the bugbear of little minds. In public affairs, in affairs of public moment, one has to take a line. It is no use trying to tread on a tight rope and trying to be good to all. Then we shall be like the father in that Ass's story of the Aesop's Fables, who in order to please all shades of opinion had to drown the animal in the river and had to go back without it. I think the Gajendragadkar Committee has also suffered from the same defect. In order to blame the entire students it has also blamed the saner section of the students, students who are non-communal, students who are firmly on the way to progress, students whose ideas are progressively inclined. These students also the Gajendragadkar Committee has castigated and by castigating the entire body of students what has been the result? The mountain has been in labour and the product has been the proverbial mouse and what is the proverbial mouse that has been produced by the Gajendragadkar Committee? The Gajendragadkar Committee has said that the entire university bodies, that is to say, the Executive Council, the Standing Committee of the Academic Council and the Court should be abolished. And what is the panacea? The panacea is a kind of dictatorship, that democratic procedure should be done away with, that all these bodies should be packed with nominated persons. Now, I submit, Mr. Vice-Chairman, that when the Gajendragadkar Committee came up with this proposal of packing these University bodies with nominated persons that was an argument of despair and this Bill is also a Bill

...

communal activities which are eroding the body politic of India and which are undermining the healthy sane system which we are trying to build up here are becoming possible because of this denominational University which is being carried on in Banaras under the name of Banaras Hindu University. There was a talk here on the floor of Rajya Sabha way back perhaps in 1966 of changing the name of the Banaras Hindu University to some other name, so that the communal name, the name of 'Hindu' to a Central University as such, might not stick to it and there might be a cleansing of the atmosphere by amending the name of the University, but there was some opposition to it and the proposal was not accepted. I appeal to the Ministry to look into this problem also, whether a denominational university like the Banaras Hindu University should be allowed to carry on, to continue in India or not. Of course, the question may arise, what about the Aligarh University. I should not be misunderstood and I must say this. The principle followed in all countries where a community is in the majority is that it does not require special protection in the name of denominational universities or in the name of such universities as the Banaras Hindu University . . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI :  
Only in the case of Hindus ?

SHRI A. P. CHATTERJEE :  
Hindus, as far as India is concerned, are in a majority. To create or to cause to be created such a denominational university in the name of the Banaras Hindu University is a sort of sop to Hindu chauvinism, which is dangerous to the body politic of India . . .

SHRI NIRANJAN VARMA (Madhya Pradesh) : What is the definition of a Hindu ?

SHRI A. P. CHATTERJEE : I hope that the Minister will consider this question that Hindu chauvinism is a very dangerous thing for India because Hindus are in a majority here and it has to be curbed. For the purpose of curbing Hindu chauvinism this denominational university in the name of the Banaras Hindu University should be abolished. In the case of the Aligarh University, it is a different thing.

If you abolish the Muslim University the Muslims, who are in a minority may feel insecure . . .

(Interruptions)

SHRI PREM MANOHAR (Uttar Pradesh) : You want to finish Hindus and have Muslims only . . .

SHRI A. P. CHATTERJEE : I know I will cause a flutter in the dovecotes of the Jan Sangh Hinduism when I say this, but I say this because we must instil confidence in the Muslim community and for that matter in all minorities. For the purpose of instilling confidence in the minorities who are living in India, for the purpose of encouraging confidence and for the purpose of seeing that the minority communities feel at home as far as India is concerned, we must see that the denominational universities are abolished. As far as universities in the name of minority communities are concerned, they stand in a different category altogether. As far as Hindu chauvinism is concerned, it should not be encouraged. Therefore, I am appealing to the Minister and if the Minister takes steps, I can assure him of our support. As he has found, when the bank nationalisation measure was taken up by the Government, in spite of the reactionary opposition to it, in spite of the syndicate's conspiracy to scuttle the entire Government, so to say, the entire progressive population of India stood behind the Government. So, if the Government takes courage in its hands and tries to root out this kind of communalism by way of changing the denominational name of this University, the progressive population of India will stand behind the Ministry. Let them take courage and I can assure them that they will be supported.

SHRI N. PATRA (Orissa) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Banaras Hindu University (Amendment) Bill, 1969. It is a temporary, emergency measure and the Minister was kind enough to declare in the House that a comprehensive measure was going to be brought forward. Therefore, there is not much to be said on the Bill. There was recently a great deal of disturbance and because of it the University had to be closed hurriedly and it is still closed. Therefore, to see that the University is again re-opened and it resumes its activities.

[Shri N. Patra]

this Bill has to be immediately passed. What is the present state of the University and what was its previous position? It was organised and established as a national university, not as a Central University, but as a national university. It was catering to the needs of the brilliant students coming from different parts of India. I had occasion to visit this University in 1948 and I stayed in the old boy's hostel for four days. I went from department to department. I was so pleased to see boys coming from different parts of India. I found a miniature India there. There was national integration. Recently I visited the University and I found it closed. Why was it closed? It is because most undesirable students, students who ought to be expelled and who ought not to have been admitted such as Mr. Majumdar and his friends, got themselves admitted into the University. One of our Members, a communist Member, was accusing the Jan Sangh people. Mr. Majumdar was not a Jan Sangh worker, but the whole of the University appeared to have been running under his dictates. He was not only a student leader. He had even assumed the presidentship of the 4th Grade Servants Union. He was dictating to the things. He was dictating to the Vice-Chancellor. At last it became so difficult. When things were going on so badly, the Vice-chancellor, Mr. Joshi, took shelter by going out of the University, by going to foreign countries for attending some conference in Australia and other places. Practically he was disowned by a large section of the people. Then, he had to fall back upon somebody. He had to fall back upon another group of students. Whether they belong to Jan Sangh or any other party, that is a different thing. I do not believe that it is manned by Jan Sangh. One of the Members of this august House was dabbling in the politics of these students. A nefarious coterie of students who owe their allegiance not to their studies or their avocation but to political parties outside. Being motivated by political parties they took a very aggressive step and they wanted to utilise the students to achieve their nefarious ends. Therefore, the Gajendragadkar Committee or whatever it is had to suggest something immediately. They had gone thoroughly into the mat-

ter and has said that unless a nominated body is constituted immediately certain things cannot be done. He has suggested a nominated Executive Council and Court. Mr. Joshi did not belong to any party and in the Report we do not find any fault against him. He has no allegiance to any political party. Yet, when he failed to control the affairs of the University, he had to resign. There is no controversy about it. He is himself going away. Therefore, I say that this Bill is a temporary measure and it has to be passed, so that the students will start their studies from the 1st of September. I again commend the Bill for the acceptance of the House.

PROF. SAIYID NURUL HASAN : Mr. Vice-Chairman, it was at the instance of this hon. House that the then Education Minister advised the Visitor to appoint the Gajendragadkar Committee. I think it is only fit and proper that this House should pay a tribute to Shri Gajendragadkar and his colleagues for the trouble they took to investigate the affairs of the university including some incidents which by all accounts were sordid. It is possible to disagree with some of their conclusions, it is also possible to disagree with some of their recommendations, but I think it is only fit and proper that we recognize the contribution which this Committee has made and we should pay tribute to them.

Sir, I rise to support this Bill with a very heavy heart. For a university teacher who has been serving in universities for over 27 years it is really an admission of defeat that a nominated Executive Council and a nominated Court should administer the university. We have always believed and our Parliament has always accepted the principle of the autonomy and the self-governance of the university, and therefore the House can well understand my personal anguish and the anguish of innumerable people in the country including the hon. Members of this House, who subscribe to the principle of university autonomy, when such a Bill has to be approved. But I feel, Sir, that in the present situation we have no other option. The immediate objective is the restoration of normalcy. Unfortunately, if I am permitted to venture to give personal evidence, there

has been a great deal of apprehension in the minds of different sections of the staff and the students regarding the impartiality of the administration or the wisdom of some of the policies which have been pursued. A nominated body which will not have to be answerable for anything which happened in the preceding year will therefore have a reasonable chance of winning the confidence of all sections of teachers and students and of removing fears that have been agitating the minds of many people. I have therefore decided to give my support to this Bill. But at the same time we must recognize that this is no panacea for the ills or for the problems facing the university. It only provides certain preconditions. Much more has to be done.

The report has very briefly referred "to the broader causes of student unrest. Those causes are there in Banaras, they are there in all Indian universities, they are there in a modified form in the various universities of the world. There is a protest among the youth against the established order, against injustice, against lack of morality—I am not using 'morality' in a narrow, squeamish sense or a prudish sense but in the wider sense of lack of justice or lack of decency. Perhaps the young people are not always very wise in expressing their sentiments. I hope they do not become prematurely wise. We all make mistakes. We who think that we are wise, wise because of our age, make mistakes. The youth will make mistakes, but at least this feeling of the youth must be respected by us even though we may point out the fallacy of the argument or the folly of a particular action which the youth takes. Sir, there is also a serious conflict going on in the country, and more especially among the students and teachers of the universities between the forces of enlightenment and the forces of obscurantism, between the forces of tradition and the forces of modernity. This ideological and intellectual conflict sometimes expresses itself through communal action or through struggle against communalism. But it is very much a part of our society today and it would be unrealistic to expect the students not to participate in this vital struggle that is going on. There is also dissatisfaction with our courses of study. Many of our courses were formulated forty years ago. Conditions have

changed. The demands of society have undergone a change. Knowledge has undergone a change. Yet in many universities, and Banaras Hindu University is not excluded, the old courses and the old manner of instruction and examination are continuing. There is a revolt against that. At the same time some remarkable attempts have been made by the Banaras Hindu University to improve the courses, to raise the standard of education and of examination. Many people feel bewildered at these improvements and at these changes, and therefore it is only natural that there should be protest against these and certainly for those who are not used to the new ways of thinking to feel upset when standards are sought to be raised. Therefore, in many universities as in B. H. U. there have been agitations against high standards of examination. There is dissatisfaction about conditions of living, about a lack of rapport between teachers and students primarily because of the unfavourable ratio between the teachers and the students.

Then, Sir, there is the question of student participation in politics. I remember in 1936 Shri Jawaharlal Nehru wrote a long article entitled "Students and Politics" which was published in the first issue of a journal which was started by the All India Students Federation which had been established in that very year, and in that article Shri Jawaharlal Nehru drew the attention of the country to the fact that it would be wrong to expect the students not to interest themselves in politics. Many of our students are voters. They have to decide as to which party has to be put in power, what sort of Government has to be established. The students will, therefore, naturally look forward to establishing contacts with the various political leaders. It would be unrealistic on the part of the authorities of the University or Parliament to expect that the students should not establish contacts with political leaders or should not participate in political activity. And as regards leadership, Sir, what are we training them for? This is the elite of our country; only 2 per cent of our youth has the privilege of entering the universities and the institutions of higher learning. We expect them to become leaders of society, leaders of thought, leaders of science, leaders of

[Prof. Saiyid Nurul Hasan]

technology, leaders of a process of social transformation of our society. Why are we worried if the students are training themselves for leadership?

Having said all this, I would like . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : There are many more speakers. I would like you to finish soon. Just take two or three more minutes.

PROF. SAIYID NURUL HASAN : I have not only the experience of working in the University, I have been a member of the BHU Executive Council, and I will only cease to be a member when this Bill is passed.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : He must be allowed to speak.

PROF. SAIYID NURUL HASAN : Therefore, I would beg of this House to take a sympathetic view of the problems with which the University is faced. Let us not be unduly harsh. Mistakes are being made. I am very much upset at the behaviour of the student community. It is my duty; as a teacher I am upset by some of the events that have taken place. But let us not be too harsh. Let us not start thinking that the University has become rotten or is going down the drain. It is a great University. It is faced with serious problems. Let us provide conditions in which this University can go forward and fulfil the responsibility which the Indian society has placed upon it. There must be a greater understanding between the administration of the University and the students. Adequate and suitable opportunities should be provided to the students to train themselves to develop initiative, to develop their personality and their moral standards. But we must also, as persons who are older, as persons who are entrusted with the responsibility of managing the affairs of the nation, give them advice to which we are entitled and which is our duty, and that is that the student activity should not defeat the purpose for which the University has been established. The purpose is, firstly, the development of knowledge. And if I may submit, Sir, today we are very far from attaining international standards. All our universities and particularly a university like the Banaras

Hindu University which is a Central University which receives, compared to many other universities, greater financial assistance, must contribute to raise the standards as quickly as possible because the sands of time are running out. We must bridge the gap between the advanced nations and the under-developed countries. The University must contribute to enlightenment and to the development of the personality of the students. And above all, it must equip the students to serve the people and contribute to the progress and growth of society. These things are vital, and the students should be persuaded to see whether their action is conducive to the attainment of these objects, or defeats the very purpose.

I hope, Sir, that the new administration which is being established will be such that it will inspire confidence among the students and that the Minister will be pleased, in his closing speech, to assure the House and the country that academic freedom will be preserved. I am glad that the authority of the Academic Council has been maintained. I am very glad that a body which had been imposed through governmental and Parliamentary action on the University, that is the Standing Committee of Academic Council, is now being abolished so that the entire academic community can now participate in the process of decision-making, and I must congratulate the Minister for taking this step of abolishing the Standing Committee of the Academic Council.

I also hope, Sir, that in nominating Members to the Executive Council the hon. Minister will not make the mistake which the Government made in respect of Aligarh. In Aligarh there is no teacher who is a member of the Executive Council. It creates many problems. I will not go into details. I hope that the Executive Council . . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जब अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में सरकार इस तरह से नामिनेट करती है तो फिर उस सरकार से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बनारस यूनीवर्सिटी में ऐसा नहीं करेगी ? अगर आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो जरा सम्मेल कर धन्यवाद दीजिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Hasan, have you finished?

श्री राजनारायण : इन्हें जरा और समय बोलने के लिए दिया जाना चाहिये क्योंकि ये कोर्ट के मेम्बर रहे हैं और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर है।

وائس چیئرمین (شہری اکبر علی خان) :  
میں یہ جانتا ہوں۔

†[उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) :  
मैं यह जानता हूँ।]

PROF. SAIYID NURUL HASAN : A very unfortunate statement was made yesterday by an hon. Member whose views I hold in tremendous esteem—I am referring to Mr. Chagla—and that was a proposal regarding the removal of the Vice-Chancellor. For one thing, Sir, there is a precedent of a Vice-Chancellor having been removed. I am referring to the removal of the Vice-Chancellor of the Kurukshetra University, Dr. Bool Chand, who was removed, and the courts of law upheld his removal only on the ground that the appointing authority has the inherent right to remove a person so appointed. But I hope that the Government is not thinking of investing the executive authority with the power to remove Vice-Chancellors. If you have to have authority, then it must be parliamentary action or action of a legislature under which a Vice-Chancellor can be removed.

PROF. SAIYID NURUL HASAN :  
That is to say, without the approval of

श्री राजनारायण : इसका मतलब क्या हुआ ? जरा आप इसको एक्सप्लैन कीजिये।  
Parliament.

श्री राजनारायण : क्या गवर्नमेंट ऐक्शन ले [ ] Hindi transliteration.

प्रोफेसर संयद नुरुल हसन : पार्लियामेंट के जरिये पास कराये। पार्लियामेंट में पास कराये बिल के जरिये।

श्री राजनारायण : इसका मतलब यह हुआ कि उसके पहले उसका रिमूवल न हो।

PANDIT S. S. N. TANKHA (Uttar Pradesh) : Not by the Visitor?

PROF. SAIYID NURUL HASAN : Not by the Visitor. That is my humble opinion because it would create very serious difficulties in the working of the universities.

One small point. The Pro-Vice-Chancellor of the Aligarh Muslim University is not a member of the Executive Council, and therefore the representation of the University on the Executive Council should be of teachers and not of officers, because that is not going to help.

Thank you. 3 P.M

श्री तारकेश्वर पांडे (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह जो कमेटी बनाई गई और इसमें जो मेम्बर बनाये गये उनके व्यक्तित्व और शालीनता पर हम को सन्देह नहीं है। और इस प्रकार चुनाव करने की नीति का मैं अत्यंत विरोधी हूँ। यह मांग हमने एजुकेशन कमीशन के सम्बन्ध में भी की थी। एजुकेशन कमीशन में अमरीका, इंग्लैंड, रूस, जापान और सभी देशों के लोग नामिनेट किये गये थे, इस देश के भी विभिन्न स्टेट्स के लोग नामिनेट किये गये, मगर कुछ स्टेट्स के नहीं किये गये। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश और हिन्दी भाषी प्रदेशों को छोड़ कर यह कमेटी बनाई गई है। यह हिन्दू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इस कमीशन में भी स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के और पश्चिमी बिहार के अधिक विद्यार्थी इसमें पढ़ते हैं लेकिन इस क्षेत्र के किसी आदमी को कमेटी में नहीं रखा गया। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इसको नोट कर लें कि फिर से तो यह कमेटी बनती नहीं है, लेकिन भविष्य में वे इसको अपने खयाल में रखें।

श्री राजनारायण : कौन कमेटी।

श्री तारकेश्वर पांडे : गजेन्द्रगडकर कमेटी

**श्री राजनारायण :** इक्वायरी कमेटी में आप चाहते थे कि उत्तर प्रदेश का कोई आदमी रहे ।

**श्री तारकेश्वर पांडे :** जहां वह स्थापित है वहां के लोगों को भी अवसर देना चाहिये । भारत सरकार का यह व्यवहार सा हो गया है कि वह हिन्दी भाषी क्षेत्रों की उपेक्षा करती है और इसकी तरफ मैं उसका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसका मोटे तौर पर मैं समर्थन करता हूं । मुदालियर कमेटी, जो बनाई गई थी, उसकी मैंने इसी सदन में आलोचना की थी । उस कमेटी ने सरसरी तौर पर जो अपना प्रतिवेदन दिया था, उसकी सार्वजनिक रूप से आलोचना की गई थी । मेरा मन तो था कि उसको मैं इस सदन में फाड़ कर फेंक दूँ, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया । मेरे मन का जो भाव था वह मैंने बता दिया ।

इस कमेटी के सम्बन्ध में मैं दो तीन बातें आप से कहना चाहता हूं । अभी कल ही श्री टी० एन० सिंह ने जो भाषण दिया, वह बड़े ही दार्शनिक और भावावेश में भाषण दिया गया था । उसमें विद्यार्थियों पर आक्षेप किया गया था और उसमें अध्यापकों की ओर ख़ास कर के डा० जोशी की प्रशंसा की गई थी और उनको डिफेंड किया गया था । मुझे उसमें एतराज नहीं है, लेकिन मौलिक रूप में मैं उनसे मतभेद एक प्रश्न पर रखता हूं । विद्यार्थी अध्यापक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो वस्तुस्थिति है वह मैं व्यक्त करना चाहता हूं । मैं काशी का रहने वाला नहीं हूं । उसके समीप का रहने वाला हूं । लेकिन मेरे बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, इस लिये मैं उससे अच्छी तरह से परिचित हूं । वस्तुस्थिति यह है कि जो आर्डिनेंस जारी किया गया उसको मैं बहुत ही उचित समझता हूं । अध्यापक, विद्यार्थी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों

में आपस में मतभेद था, झगड़ा था, वैमनस्य था और स्थिति क्या थी कि सभी अध्यापक विद्यार्थी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आपस में विभाजित होने के कारण, वहां भय, सन्देह और आतंक का वातावरण था । मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं, चाहे वे इसके समर्थक हों या इसके विरोधी हों, कि इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है । इसकी जिम्मेदारी उनके संचालकों पर है और संचालकों के मुखिया के ऊपर है, डा० जोशी के ऊपर है और इससे वे बरी नहीं हो सकते ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें दो रायें नहीं हो सकती कि जो विद्यार्थी वहां पर अध्ययन करते हैं उनको अपने भविष्य के सम्बन्ध में बड़ी चिंता है कि हमारा क्या होगा, हम को कोई काम मिलेगा या नहीं मिलेगा । वहां के वातावरण को बिगाड़ने में यह भी एक कारण रहा है ।

तीसरी बात राजनैतिक दलों के प्रवेश की है, उनके द्वारा विद्यार्थियों का संगठन करने की है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का संगठन करने की है और अध्यापकों के ख़ुल कर उनके साथ काम करने की है । वहां पर टीचर्स एसोसिएशन है जिस को मैं किताबी संस्था मानता हूं । उसको टीचर्स का एफिलिएशन प्राप्त नहीं है लेकिन उसको भी बड़ा स्थान दिया गया है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और विद्यार्थी दोनों मिल कर एग्सेसिव हैं । यह एक विचित्र प्रकार का वहां पर सामंजस्य स्थापित हुआ है । यह एक वाक्य भी कहा गया है कि जो विद्यार्थी अहिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं उनका अच्छा वेलकम या स्वागत नहीं होता है । यह भी बात सही है । डा० सेन उन दिनों शिक्षा मंत्री थे जब डा० जोशी की नियुक्ति हुई । डा० जोशी विद्वान भी हैं, उनका बड़ा अनुभव भी है और उनका बड़ा मुताम भी है । लेकिन मेरा यह खयाल है कि डा० सेन जब वहां पर उपकुलपति थे तो विश्वविद्यालय की



हालत अच्छी थी और वह बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, वहां डिसिप्लिन भी कायम था और वहां किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ। डा० जोशी जब वहां पर उपकुलपति हुए तो यह फैक्ट है, यह तथ्य है कि डा० जोशी और डा० सेन इन दोनों के आपसी सम्बन्ध चाहे कितने ही अच्छे हों, लेकिन डा० जोशी के हृदय में यह संदेह था कि वे मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, इस लिये उनके मन में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई जिस से छ कामों में खराबी आई।

अध्यापकों की जो नियुक्ति चुनाव समिति करती है और अध्यापकों में जो रीडर्स की नियुक्ति होती है, डीन्स की नियुक्ति होती है, यह पक्षपात से परे नहीं है। विद्यार्थी यह नियुक्तियां नहीं करते हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यह नियुक्तियां नहीं करते हैं बल्कि यह नियुक्तियां चुनाव समिति करती है। उस संस्था में यदि इस प्रकार के पक्षपात होंगे तो उस संस्था का भविष्य क्या हो सकता है। विद्यार्थियों पर उसका क्या असर हो सकता है और सार्वजनिक काम करने वालों पर उसका क्या असर हो सकता है।

एक श्री मजूमदार वहां पर विद्यार्थी हैं। मैं उनसे थोड़ा परिचित भी हूं। कहा जाता है कि वे कम्युनिस्ट हैं। यह भी कहा गया कि डा० सेन के वे प्रिय विद्यार्थी थे। मैं इस चर्चा में नहीं पड़ता कि वे कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं या प्रोग्रेसिव विचार के हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वे डा० सेन के बहुत प्रिय विद्यार्थी थे। हमारी भारतीय संस्कृति में जो कुलपति और उपकुलपति की कल्पना है, उसी के आधार पर इस संस्था की स्थापना महामना मालवीय जी ने की थी। अब आप जरा देखिये कि उसकी क्या दुर्दशा है। उस विद्यार्थी को मार कर के, पीट कर के एक कमरे में बन्द कर दिया गया। उसके बाद पुलिस के सिपाही और एक राजनैतिक दल के कुछ साथी उसको पकड़ कर. . .

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सम्मानित सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सा राजनैतिक दल है, जरा वे उसका नाम लें। सब को एक ही छड़ी से भार देना ठीक नहीं है।

**श्री तारकेश्वर पांडे :** मुझ से कहा गया है कि आर० एस० एस० के साथी थे।

**श्री राजनारायण :** हां, यह कहिये।

**श्री तारकेश्वर पांडे :** तो पुलिस वाले उसका एक हाथ पकड़ कर चलते हैं और दूसरी तरफ आर० एस० एस० के साथी उसको पकड़ कर और घसीट कर ले जाते हैं और किस के समक्ष ? उपकुलपति के समक्ष। वे उसका संरक्षण नहीं कर सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इस लिये जो लोग यह समझते हैं कि ऐसे उपकुलपति को उस विश्वविद्यालय में रहना चाहिये, वे थोड़ी भूल करते हैं। उसको वहां कभी नहीं रहना चाहिये। इसी लिये मैं कहता हूं कि भारत सरकार ने बहुत सोच समझ कर यह कदम उठाया है। यह भी कहा जाता है कि प्लानिंग कमीशन में भी थे, यह भी कहा जाता है कि चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योग था, उनकी विद्वता उनके अनुभव की सारी परम्पराएं बड़ी पुनीत दीख पड़ती हैं।

**श्री राजनारायण :** रावण भी तो विद्वान था।

**श्री तारकेश्वर पांडे :** रावण के बारे में मैं नहीं जानता किस जाति का था, लेकिन उसकी जाति आपसे ज्यादा मिलती थी, हम तो वशिष्ठवंशी हैं, हम तो राम के अनुयायी हैं।

**श्री राजनारायण :** ये वही वशिष्ठ हैं जिन्होंने शम्बूक की हत्या करवाई थी ?

**श्री तारकेश्वर पांडे :** कभी कभी हथियार उठाना धर्म हो जाता है। यह भगवान कृष्ण

[श्री तारकेश्वर पांडे]

का उपदेश है। वशिष्ठ ने इसी आधार पर राम को उपदेश दिया था कि अत्याचार का मूलोच्छेद करना चाहिए। यह आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, कभी कभी आप श्लोक भी पढ़ते हैं। उस विद्यार्थी को मारते-पीटते उपकुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वह अपराधी नहीं था, चोर नहीं था, डाकू नहीं था और अगर था भी तो उसे अदालत में ले जाना चाहिए था। उपकुलपति ने किस प्रकार उसके साथ व्यवहार किया? वह जेल भेजा गया। अब जरा इस बात को सोचिए। जो उपकुलपति को डिफेंड करते हैं मैं उनसे अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन यह जरूर निवेदन करता हूँ कि इस दृश्य को सामने रखिए कि दर्जनों अध्यापक पीटे गए, विद्यार्थी पीटे गए, वितंडावाद हुआ। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, क्या एक्शन लिया गया, क्या कार्यवाही की गई, तथ्य क्या हैं?

यूनियन का चुनाव हुआ। मेरा कोई परिचय नहीं है श्री सिनहा से, लेकिन उनके विरुद्ध यह आरोप था कि वे खड़े हो सकते हैं या नहीं। कानूनी अनुमति उन्हें मिल गई और वे अध्यक्ष चुन लिए गए। कुछ समय के बाद वे महाशय निकाल दिए गए। अब यह नियम वहां की यूनियन का है कि उसके बाद जिसको अधिक वोट मिले हों उसको बना दिया जाय अगर चुनाव उस समय नहीं होने वाला हो। वे हैं श्री दामोदर सिंह। मैं इस सम्बन्ध में अपने छोटे भाई राजनारायण जी से कहता हूँ कि उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। श्री दामोदर सिंह को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वे आर० एस० एस० और जनसंघ से सम्बन्धित हैं।

श्री ना० कृ० शेजवलकर (मध्य प्रदेश) : सम्बन्धित है ?

श्री तारकेश्वर पांडे : निश्चित रूप से सम्बन्धित है। मैं शपथपूर्वक कहने को तैयार हूँ। ये महाशय अध्यक्ष चुन लिए गए। बड़ी कृपा

थी डा० जोशी की। डा० जोशी किसी पार्टी में, किसी दल में नहीं हैं, यह मोटी किताब में भी लिखा है कि उनका झुकाव है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कांग्रेस में थे।

श्री तारकेश्वर पांडे : वे कुछ दिनों के बाद सोशलिस्ट हो गए थे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जिस तरह से आजकल आप लोग बदलते रहते हैं।

श्री तारकेश्वर पांडे : एक पर्चा निकला हुआ है, उसमें लिखा है कि आर० एस० एस०वाद और सिंहावाद का जो आरोप लगा है वह मिथ्या है। यह दामोदर सिंह अपने चरित्र से सिद्ध करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जब पिछला मध्यावधि चुनाव हुआ असेम्बली का, उसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। ये उसके एजेंट हो गए। जातिवाद नहीं है हिन्दू विश्वविद्यालय में? प्रच्छन्न आर० एस० एस० और प्रच्छन्न जनसंघ है। श्री चन्द्र शेखर सिंह जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे. . .

श्री राजनारायण : चन्द्र शेखर सिंह को आप लोग ऐसे नहीं समझ सकेंगे। जिन्होंने कमलापति त्रिपाठी को, होम मिनिस्टर को हराया था वही चन्द्र शेखर सिंह हैं।

श्री तारकेश्वर पांडे : इन्होंने अच्छा कह दिया। कमलापति त्रिपाठी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और आज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके विरुद्ध चन्द्र शेखर सिंह के ये एजेंट थे। सरकारी कर्मचारी बहुत डरते हैं आर० एस० एस० के लोगों से, उन्होंने कहा कि आप इस पर दस्तखत कीजिए, श्री दामोदर सिंह ने दस्तखत किया। 25-30 मिनट के बाद एक बावैला हो गया। एक व्यक्ति वोट देने के लिए आया, वह वह नहीं था जिसके नाम वोट देने जा रहा था। त्रिपाठी जी के एजेंट ने एतराज किया और इन्होंने गोली लगा दी, मुकुदभा अदालत में है और अदालत जो फैसला करे वह

जाने। यह पर्चा जो प्रकाशित किया है हमारे एक साथी ने, हमारे एक मित्र है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि गजेन्द्र गडकर कमेटी ने जो सिद्धान्त और आर०एस०एस० वाद की बात कही है वह ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसने ठीक कहा है। यह पर्चा मैं हाउस के सामने प्रस्तुत करता हूँ। यह है श्री राजदेव सिंह, एम० पी०, एन ओल्ड स्टूडेंट आफ बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी।

अब आगे चलिए। जो बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी है उसके कोर्ट में भी रहने का हमें कुछ दिन अवसर मिला है।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** इसीलिए इस बिल पर बोल रहे हैं ?

**श्री तारकेश्वर पांडे :** यह भी कारण है और भी कारण हैं। हालत क्या है। पी० ए० सी० आई, अध्यापक अपने दफ्तर में पीटे गए, जगह जगह उपद्रव होते हैं। इसी के साथ यह भी देख लीजिए कि वाइस चांसलर काशी में नहीं रहता, या तो विदेश में रहता है या दिल्ली में रहता है या किसी और जगह रहता है।

**डा० भाई महावीर :** मिनिस्ट्रों की तरह।

**श्री तारकेश्वर पांडे :** बिल्कुल ठीक समझा आपने। जितना आप मिनिस्ट्रों को समझते हैं उतना डा० जोशी को समझ लेते तो आपकी राय बिल्कुल ठीक हो जाती।

**श्री राजनारायण :** एक बात इन्होंने सही कही।

**श्री तारकेश्वर पांडे :** कहा जाता है कि महामना पं० मदन मोहन मालवीय ने आर० एस० एस० का कैम्प लगाने की आज्ञा दी थी। अगर इसको सही भी माना जाय तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि संस्थाओं के स्वरूप और उनके विचारों में परिवर्तन होते हैं। अब यह देश स्वतन्त्र हो गया है। मैं राजनारायण जी की राय से सहमत हूँ कि

महामना की यह निश्चित राय थी कि काशी में हिन्दूत्व निहित है, भारतीयता निहित है, भारत की आत्मा निहित है, इसको काशी हिन्दू विश्वविद्यालय नहीं माना जाना चाहिए, काशी विश्वविद्यालय पर्याप्त है। राज अंग्रेजों का था, मान्यता उनको देनी थी तो उन्होंने शायद इस बात को हल्के में होने दिया। इसी लिए आप यह विचित्र बात देखते हैं कि हिन्दी में काशी विश्वविद्यालय है और अंग्रेजी में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय है। इस प्रकार चल गया उन हालात में, उन स्थितियों में। मैं भी काशी का विद्यार्थी हूँ, विद्यापीठ का हूँ। हमको स्मरण है कि जो महाराष्ट्र के लड़के थे वे ही कुछ आर०एस०एस० में जाते थे। यह बात सही है कि आज की स्थिति में अन्तर आ गया है। अगर आर० एस० एस० को स्थान देते हैं तो मेरी राय में एक बड़ा वितंडा खड़ा हो जायगा। आर० एस० एस० को स्थान देने पर दूसरी संस्थाओं को भी स्थान देना होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे मान्य थे, लेकिन मुझे वह समय याद है जब प्रिन्स आफ वेल्स हिन्दुस्तान पधारे थे महामना ने उनका अभिनन्दन किया था लेकिन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और काशी नगर ने प्रिन्स आफ वेल्स का बायकाट किया था। मतभेद हो सकता है उनसे लेकिन मेरी यह सुनिश्चित राय है कि बड़ा अधर्म होगा, बड़ा अन्याय होगा यदि किसी पार्टी को वहाँ पर इतना अधिक काम करने का अवसर दिया जाय। इसलिए मेरी सुनिश्चित राय है कि पार्टी को दूसरी जगह पर काम करने का अवसर मिलना चाहिए, विश्वविद्यालय के कैम्पस में इस प्रकार की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। अब जरा बताइये कि मोटर जलाई गयी, लारी जलाई गयी, दुकानें लूटी गयीं, लड़के मारे गये, विद्यार्थी मारे गये, उपद्रव मचा। इतना होने पर आप अब कैसे कह सकते हैं कि उस विश्वविद्यालय में शान्ति है।

मैं दो शब्द और कहना चाहता हूँ। एक इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी है और उस की

[श्री तारकेश्वर पांडे]

स्थापना के लिए कोर्ट और एक्जीक्यूटिव दोनों की स्वीकृति है। भारत सरकार के समक्ष स्वीकृति के लिए वह मौजूद है। कहा जाता है साहब कि प्रशंसा के पुल बांध दिये गये हैं। मैंने अखबार में यह पढ़ा कि डाक्टर जोशी ने एक्जीक्यूटिव में यह बयान दिया कि यह वर्तमान एज्युकेशन मिनिस्टर डा० राव जो हैं वह चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट को तोड़ दिया जाय। तो उस अखबार की कटिंग, जिसमें वह बयान था, और अपने साथी पं० महावीर प्रसाद शुक्ल का पत्र, जो कि उस समय का है जब कि वह कोर्ट के सदस्य थे जब वह डिजाल्व हुआ था, वह सब मैंने उन को दिखा कर उन से पूछा। आप ने फरमाया कि यह बिलकुल गलत है। मैंने किसी समय यह बात नहीं कही। अब आप की सेवा में मैं यह सारे पत्र इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिन से प्रकट होगा कि डा० जोशी जिस के संबंध में समझा जाता है कि वह हरिश्चन्द्र हैं, ने गलत बयानी की है और डा० राव ने जो पत्र लिखा है वह पत्र भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस के आगे युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के डा० कोठारी ने उन से कहा, जैसा कि उन्होंने वहां बतलाया, और जो उन्होंने पत्र लिखा और डा० कोठारी की तरफ से भी जो पत्र लिखा गया है वह भी मैं आपके समक्ष इस टेबिल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अब इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी है क्या ? जो विभिन्न साइन्स की अलग अलग शिक्षायें हैं उन सब का मिल कर एक होना है। मैं समझता हूँ कि यह बड़ा मुनासिब है, उचित है। वैसे मेरी निजी राय यह है कि इस इंस्टीट्यूट को आई० आई० टी० की तरह ट्रीट करना चाहिए और चलाना चाहिए। इस से लाभ क्या होता है ? उस क्षेत्र के रहने वाले विद्यार्थियों को 25 फीसदी फीस माफी होती है और बहुत सी स्कालरशिप्स मिलती हैं। तो मेरी निश्चित राय है कि इस इंस्टीट्यूट को आई० आई०

टी० की तरह से चलाना चाहिए। इस कमेटी ने भी इस को स्वीकार किया है कि इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी जो है उस को एक में रहना चाहिए और उस को कायम रहना चाहिए।

दूसरी बात, इस कमेटी में कहा गया है कि स्नातक तक की जितनी कक्षाएँ हैं उन को तोड़ देना चाहिए और बनारस में दूसरे डिग्री कालेजेज स्थापित कर देना चाहिए। मैं इस से असहमत हूँ और मैं मुनासिब तो नहीं समझता और मेरी उम्र भी 60 वर्ष की हो गयी है, कि चुनौती दूँ या चैलेंज दूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा विनम्रता से शिक्षा मंत्री जी से कि इस प्रकार के कार्य वे वहां होने मत दें। अगर आप को यह कार्य करना हो तो अलीगढ़ युनिवर्सिटी में कीजिए। अगर आप को यह कार्य करना हो तो दिल्ली युनिवर्सिटी में कीजिए, शान्ति-निकेतन में कीजिए। आइसोलेट कर के हिन्दू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों पर पढ़ने से रोक लगाना, मैं इस को अनुचित समझता हूँ। इस लिए मेरी यह प्रार्थना है कि इस कमेटी की इस सिफारिश को आप अस्वीकार कीजिए। मैं अपनी तरफ से इस को अस्वीकार करता हूँ।

मैं एक दो सेंटेंस और कहना चाहता हूँ। मेरे एक दो मुझाव हैं। जहां तक इस कमेटी की रिपोर्ट का संबंध है उस का सार्वजनिक अभिनन्दन हो रहा है। सभी ने इस को अच्छा समझा है और माना है कि इस में तथ्य को प्रस्तुत किया गया है। वहां पर डीन लोगों की एक संस्था है। वे लोग इस से अफेक्टेड हुए हैं और वे अब हिन्दू युनिवर्सिटी के खिलाफ हैं।

एक अंतिम मुझाव रख कर इस विधेयक का आम तौर से मैं समर्थन करता हूँ। मेरी प्रार्थना यह है शिक्षा मंत्री जी से कि यह विश्वविद्यालय काशी में स्थित है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के और पश्चिमी बिहार के लड़के वहाँ पढ़ते हैं इस लिए मेरी राय है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में, उस के कोर्ट और एक्जीक्यूटिव में यहां के लोगों को विशेष स्थान

देना चाहिए। यह उचित होगा, मुनासिब होगा, जिस तरह से केन्द्र की और संस्थाओं में आप करते हैं उस के अनुरूप होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

**श्री निरंजन वर्मा :** साठे कोठारी एण्ड कम्पनी की जो बात है उसे भी कह दीजिये।

**श्री तारकेश्वर पांडे :** यह सारे पत्र आप के सामने प्रस्तुत हैं। आप इन को देख सकते हैं।

**डा० भाई महावीर :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दुख इस लिए कि माननीय शिक्षा मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मुझे यह सुझाव भी दिया था और मैं ने उस का सम्मान किया था कि इस विषय में हम ऐसी बातें न लायें जो कि विश्वविद्यालय को आगे चलाने के काम में बाधक हों या नयी समस्याएँ पैदा करें। मैं चाहता था कि यह बात इस सदन के हमारे सभी सदस्य मानते और यूँ ही चलते चलते लात मार देने की जो एक बात होती है, कुछ लोगों की जो इच्छा होती है वह कह देते हैं...

**श्री तारकेश्वर पांडे :** मैं आप से जानना चाहता हूँ कि यह जो मैं ने आप की सेवा में प्रस्तुत कर दिया, मेज पर रख दिया, क्या इस की स्वीकृति आप नहीं देते हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You have read it.

SHRI TARKESHWAR PANDE : Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Then that is part of the record.

**श्री राजनारायण :** वह तो ले हो गया। वह टेबिल पर रखा माना जाना चाहिए। वह कोई बाहर की चीज नहीं है और वह हमारे

शिक्षा मंत्री जी का खत है, वहाँ के वाइस चांसलर का खत है। उस को सम्मानित सदस्य ने रखा है और उसे आप को स्वीकार करना चाहिए।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** ऐसे रखने की पद्धति होगी तो यह एक नयी परंपरा होगी।

**श्री राजनारायण :** जिस समय उन्होंने रखा...

**उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) :** आप ने फरमाया और वह रेकार्ड में आ गया है। आप ने कोई स्पेशल रेक्वेस्ट नहीं की कि उस को यहाँ टेबिल पर रखा जाय।

**श्री तारकेश्वर पांडे :** मैं ने कहा था, आप भाषण में पढ़ लीजियेगा। मैं ने कहा कि वह मैं सदन की टेबिल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : According to the rules it may be placed.

**श्री सुन्दर सिंह भंडारी :** इस प्रकार का कोई भी कागज, कोई भी डाकुमेंट जब कभी टेबिल पर रखने की बात आती है तो जो भी प्रेसार्डिंग अथॉरिटी है वह उस को देख लेते हैं और उस की आर्थेंटिसिटी को वेरीफाई कर लेते हैं और उन सब बातों की जानकारी होने के बाद, जो पहले हो जाता है, उस के बाद, किसी भी कागज को टेबिल पर रखा जाता है। मुझे इस विषय में कोई विशेष आपत्ति नहीं है परन्तु अगर इस प्रकार से कोई भी चीज, जिस का उल्लेख यहाँ किया गया है, उसे अगर आप सदन की मेज पर रखने की अनुमति देंगे तो यह परिपाटी सदन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को ही ज्यादा तकलीफ में डालेगी। मैं समझता हूँ कि आप अपना निर्णय देते समय इन सब बातों पर विचार कर के निर्णय दें।

**उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) :** मैं ने इसी लिए कहा है :

According to the rules it may be placed on the Table of the House.

Hindu University [Amdt.)  
Ordinance, 1969

Amdt.) Bill, 1969

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : You have accepted its being placed on the Table. "According to the rules" means what ?

SHRI ABID ALI : According to the rules it will be dealt with. It will be dealt with according to the rules. That is what his ruling means.

श्री राजनारायण : एकाडिंग टु रूल्स का मतलब यह रखा जा सकता है और रखा गया।

SHRI CHANDRA SHEKHAR (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, it will be very improper if any Member in the course of his speech mentions about a document and if it is taken to be placed on the Table of the House it will be a wrong procedure. As you have stated rightly if a Member wants to lay something on the Table of the House, he may make a special request for it. This has been the convention in the House and unless and until it is very specific, very urgent and authenticated, the Chair generally does not allow documents to be placed on the Table of the House by private Members. So, because he mentioned something in his speech, it should not be taken to have been laid on the Table of the House.

श्री तारकेश्वर पांडे : मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ...

श्री राजनारायण : पांडे जी, आप जरा बैठिये, जरा मुनिये। श्रीमान्, जरा ध्यान से आप सारी चीजों को देखिये। अब, रिक्वेस्ट करने का क्या कोई विशेष कायदा कानून है, क्या कोई शीर्षासन कर के रिक्वेस्ट करेंगे। पांडे जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कहा कि मैं इसको सदन की मेज पर रखता उस समय आपने कुछ नहीं कहा।

श्री महावीर प्रसाद भार्गव (उत्तर प्रदेश) यह नहीं कहा, यह कहा कि मैं प्रस्तुत करता हूँ।

श्री राजनारायण : इसमें डाक्टर साहब का एक खत है एक खत शिक्षा मंत्रालय की ओर से है कि जैसा कि खत में कहा गया है तो राब

साहब से कोई इस तरह की बात नहीं की टेकनिक्ल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो जो खत पांडे जी ने रखा है वह बिल्कुल सही है, आथेटिक है।

श्री चन्द्र शेखर : मैं समझता हूँ कि राज नारायण जी को हिन्दी आती है। उन्होंने कहा कि मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, तो सदन की टेबिल पर रखता हूँ। इसमें और उसमें, इन दोनों में अन्तर होता है। इतना तो वह समझते ही होंगे।

श्री तारकेश्वर पांडे : अच्छा मैं चन्द्र शेखर जी की राय से सहमत हूँ, अगर मैंने विशेष प्रार्थना नहीं की हो तो मैं विशेष तौर पर प्रार्थना करता हूँ कि मेज पर रखने के लिये मैंने निवेदन किया था और मैं पुनः यह निवेदन कर रहा हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I will look into it and give my decision. Dr. Mahabir.

डा० भाई महावीर : महोदय, दुःख मुझे इस बात का है कि हमारे सदन में इस तरह की मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता अपने कुछ विशिष्ट मिव नहीं समझते, इसलिए मजबूरी में कुछ बातें सामने लायी पड़ती हैं जो उन्होंने एक पक्ष का दृश्य दिखाया है उसके सामने दूसरा पक्ष रखने के लिये, और जो कुछ तथ्यों को छिपा कर, कुछ को बड़ा रंग दे कर, कुछ को बड़े शोभनीय शब्दों में अलंकृत भाषा में प्रस्तुत कर के, जिस प्रकार चक्रवर्ती पद का उन्होंने जिक्र कल किया था वैसा पद पाने की उनकी लालसा रही हो तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं चाँगा कि सदन के सब लोगों की कम से कम समझ में आ जाय कि उम पद के योग्य वह न बन पाये इसलिये मेरा कर्तव्य है कि जो कुछ बातें उनके कथन में छुट गई—जानबूझ कर या अनजाने में—उन बातों की तरफ मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूँ।

महोदय, समिति ने जो प्रतिवेदन दिया है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसको देख कर मुझे इस बात का थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि कुछ बातें जिनको लाने की आवश्यकता नहीं थी वे लाई गई, कुछ बातें जिनका महत्व नहीं था उनको महत्व दिया गया और कुछ बातें जिनको महत्व देना चाहिये था उनकी पूर्णरूपेण उपेक्षा हुई। जो समिति का टर्मस् आफ रेफरेंस था उसको देखें, उसको पढ़ें, तो उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय में किस एज की लिमिट के विद्यार्थियों को प्रविष्ट किया जायगा या किसी एक संस्था को दूसरी संस्था के साथ मिलाया जाय या नहीं मिलाया जाय, या इसे केवल पोस्ट-ग्रेजुएट यनिवर्सिटी रखा जाय और बाकी कालेजेज जो हैं वह अलग रखे जायें, इन विषयों पर वह विचार करे, किन्तु इन विषयों पर उन्होंने स्वेच्छा से, अनसाट एडवाइस देने की कोशिश की है। मैं नहीं समझता कि इसकी कहीं कोई आवश्यकता थी लेकिन न केवल यह कि उन्होंने एडवाइस दी बल्कि उन्होंने आगे जाकर के उसके जो कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, जो कुछ उसके द्वारा अर्थ निकलता है, उन्हें समझाने का बेकार में प्रयत्न किया है।...

**श्री राजनारायण :** क्योंकि कमिशन ने समझा कि यही कारण है अनरेस्ट का, तो कामिशन ऐसा कर सकता है।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** कर सकता है। राजनारायण जी, आप कह चुके हैं अब क्यों बीच में बोलते हैं ?

**डा० भाई महावीर :**... उनको यह बताने की क्या जरूरत थी कि इसके लिये छोटे कालेजेज गवर्नमेंट को खोलने पड़ेंगे और नहीं तो काशी विद्यापीठ के साथ कुछ कालेजों को सम्बद्ध किया जा सकता है, नहीं तो गोरखपुर युनिवर्सिटी के साथ किया जा सकता है। यह कुछ जरूरत से ज्यादा सफाई देने की, समझाने की जो कोशिश समिति ने की है मुझे लगता है कि

इसके पीछे उनका हेतु क्या था यह इन बातों से स्पष्ट नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन को भी घसीटा है जिसका कहीं कोई तुक नहीं आता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंजीनियरी और टेक्नालाजी की जो फैकल्टीज हैं उनको मिला दिया जाय। यह किस बात में से निकला और यह यहां पर ला कर कैसे बिठाया गया, यह एक ऐसा आश्चर्य का विषय है जिसको कि मैं नहीं समझ सका हूं, हमारे ज्यादा बुद्धिमान मित्र, जैसे कि राजनारायण जी हैं, इसे सही समझ गये हों तो उनसे मैं किसी वक्त समझने की कोशिश करूंगा।

**श्री राजनारायण :** नहीं, मैं अभी समझा दूँ।

**डा० भाई महावीर :** अपने वक्त में समझा-इयेगा, आपने कल काफी समय लिया, दूसरे के समय में जरा अपनी टांग मत फंसाइये।

इसी तरह से इनेस कमिटी की बात है। तो मेरा निवेदन है कि गजेन्द्र गडकर समिति ने जिन बातों की तरफ ध्यान दिया है उन बातों में से कुछ पर ध्यान दिये बगैर भी वह अपना कर्तव्य मुच्चारु रूप से सम्पन्न कर सकते थे और जिन बातों की तरफ उनको ध्यान देना आवश्यक था यदि उनकी तरफ ध्यान देते तो शायद उनके लिये ज्यादा शोभनीय होता और वह अपने कर्तव्य को ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते। इन दोनों बातों को जैसा कि उन्हें करना चाहिये था वैसा मेरा निवेदन है कि नहीं किया।

उन्होंने यहां पर कुछ विटनेसेज की बात कही है। मैं चकित हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च पीठ पर जो न्यायाधीश बैठ चुका हो वह इस तरह से करे, उनसे इस तरह से एवि-डेंसेज का जिक्र करने की कोई उम्मीद नहीं रखता जिसमें कि किसी एक विटनेस का एक स्टेटमेंट जो कि उनकी सारी कहानी में फिट होता है उसको ला कर वह रख दें और बाकी

**[डा० भाई महावीर]**

सारी विटनेसेज जो हैं उनको छोड़ दें, मानो कि उनका कोई महत्व नहीं था, उनका कोई मूल्य नहीं था इस वास्ते उनकी उपेक्षा कर दी। बहुत से लोगों को उन्होंने बुलाया, उसमें पार्लियामेंट के सदस्य हैं, हमारे यहां के कुछ बन्धु हैं वे भी बुलाये गये, कल यहां जो बन्धु बोल रहे थे जिनके बोलने पर राजनारायण जी और रुद्र रूप में आ गये थे वह श्री टी० एन० सिंह थे उनको वहां बुलाया गया। श्री पी० के० केलकर जो कि डाइरेक्टर हैं आई० आई० टी० के, पुराने वाइसचांसलर डा० बी० एम० झा, जो वाइसचांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं डा० ए० बी० लाल, श्री संत बख्श सिंह एम० पी०, पंडित हृदय नाथ कुंजरू, श्री एस० एल० धर रजिस्ट्रार बुलाये गये, श्री आर० बी० सक्सेना, डप्टी कमिशनर बुलाये गये, और भी रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाये गये, रीडर्स, लेक्चरर्स और जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाये गये, क्लास थ्री और क्लास फोर इम्प्लाइज के रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाये गये लेकिन इन सारे एवेडेंस में से गजेन्द्र गडकर कमीशन को एक व्यक्ति बड़ा इनटेलिजेंट मालूम हुआ, उसका एकेडेमिक रिकार्ड बड़ा मालूम हुआ और इसलिये उसने कहा कि हम उन्हीं की एवेडेंस को प्रस्तुत करते हैं। उसने यह भी कहा कि हम यह नहीं कहते कि उसका कहना ठीक था या उसने सब कुछ सच कहा है लेकिन हम उसको यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। महोदय, किसी प्रकार से भी किसी केस को प्रस्तुत करने का यह जज का डंग नहीं है, यह वकील का डंग है और हमें कभी विश्वास नहीं हो सकता था कि श्री गजेन्द्र गडकर इस समिति के अध्यक्ष बन कर बैठेंगे तो किसी एक पक्ष को जिसको वह पुष्ट करना चाहते हैं उसको अपने डंग से सारा केस बता कर सामने रखेंगे, यह उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा किया है दुःस्मियन। मेरा कहना यह है कि उन्होंने जो फैसले दिये हैं, जो कुछ उन्होंने कहा है, इन सब को अगर हम पढ़ें तो स्पष्ट रूप से

दिाई देता है कि उनके ऊपर कुछ न कुछ दबाव पड़ा, उनके सामने किसी न किसी तरह से दूसरे कंसीडरेंस आये और उसके कारण जो बातें उन्होंने कुछ अंश में स्वीकार भी की हैं उनकी उन्होंने उपेक्षा की, उनके द्वारा दुर्लभ किया, परिणाम यह हुआ कि जो बातें उन्हें नहीं कहनी थीं वह भी कहीं। अब, वाइस चांसलर के बारे में उन्होंने कह दिया कि सारे यूनिवर्सिटी के जो एकेडेमिक कैंडिडेट्स हैं, सारे बड़े और छोटे जो हैं, उनका विश्वास खो दिया है। अगर उन्होंने विश्वास खो दिया था तो मुझे बताया जाय कि ये जो डीस और लेक्चरर्स के लेटर्स आज यहां प्रस्तुत हुये हैं वह कैसे लिखते, क्या इसको इन सारे डीस ने किसी से रिश्वत खा कर लिखा था या क्या उन्होंने भ्रम पी रखी थी कि उन सब ने दस्तखत कर के सरकार के पास उसे भेज दिया। यह सारा उनको कहने की जरूरत क्या थी। सारी रिपोर्ट के अन्दर जगह जगह कहा गया कि दो ग्रुप थे, एक ग्रुप को वाइस चांसलर इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा दूसरे ग्रुप के खिलाफ। सच यह है कि ग्रुप जरूर थे लेकिन वह ग्रुप किस प्रकार के थे इस सारे के बारे में जो इनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है वह बिल्कुल अतिरंजित है और उसको किसी भी रूप में न्याय की पीठ पर बैठ कर किया गया वर्णन स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सारे डीस, जो लिखते हैं जिसको कि हमारे मित्र वहां कह रहे हैं, ये सारे प्रच्छन्न भाषा में न कहे और स्पष्ट भाषा में कहें तो ये सारे जनसंघ के ही होंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के होंगे और इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है वह राजनैतिक दृष्टि से कहा है। हमारे कुछ मित्र बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से इसे स्वीकार कर सकते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सचमुच में जिन्होंने अपने न्याय, बुद्धि और साक्षी को ऊपर रखा है, जिन्होंने अपने सोचने समझने के विवेक को तिलांजलि नहीं दी क्या वह उस तरह की बातें कह सकते हैं। सच तो यह है कि जो यहां पर वर्णन आया है, जो इस समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है



उसके सामने यदि आप देखें तो टीचर्स ने, टीचर्स एसोसियेशन ने, यनिवर्सिटी के सात सौ अध्यापकों ने जो लिख कर दिया कि अध्यापकों के कहने के अनुसार जो कदम उठाया गया था इन तीन छात्रों के खिलाफ वह कदम उचित ही नहीं अनिवार्य था और यदि वह अनिवार्य था तो उसके आधार के ऊपर खड़ा करके यह कहना कि एक ग्रुप था, दूसरा ग्रुप था, उसके खिलाफ एक को लड़ा कर वाइस चान्सलर ने वृत्त बढ़ा जुर्म किया है, पाप किया है, यह मारी कहानी लड़खड़ा कर गिर जाती है। मैं बताना चाहता हूँ, जो टीचर्स एसोसियेशन बनारस हिन्दू यनिवर्सिटी का था उन्होंने जो मेमोरेण्डम पेश किया उसके अनुसार उन्होंने कहा कि जब प्रधान मंत्री यनिवर्सिटी के अंदर आने के लिये तैयार हुई तो एक ग्रुप ऐसा था कि जिसने कहा हम आपको आने नहीं देंगे और अगर वह आ गई तो They would not hesitate from making an attempt on her life यह एक गुट है। आपको छात्र कहते हैं, नवयुवक कहते हैं। कहते हैं नवयुवकों के साथ बड़ा अन्याय होगा, छात्रों के साथ बड़ा अन्याय होगा। कल राजनारायण जी ने कहा विद्यार्थियों को विष्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति होनी चाहिये। विद्यार्थी का अर्थ है जो विद्या के अर्थ से आए। जो विद्या अर्जन के लिये आए, जो विद्या अर्जन करने की वजाय वहाँ पर हुड़दंगा करने के लिये आता है, वहाँ पर दंगा करने के लिये आता है, या प्रधान मंत्री के ऊपर या किसी और मंत्री के ऊपर वहाँ पर चुनौतियाँ दी गईं, अल्टीमेटम दिये गये कि वाइस चान्सलर अगर ऐसा नहीं करता तो 24 घंटे के अंदर He would be killed. य शब्द है गजेन्द्र गडकर कमीशन के। यह सब लिखने के बाद, यह सब कुछ होने के बाद इसके ऊपर कमेंट करने की जरूरत आपको महसूस नहीं हुई। कमेंट उन्होंने यह किया कि एक छात्र ने हमसे कहा था, वह कहीं से आता था, बड़ा ब्रिनिगण्ट एकेडेमिक रिकार्ड था, उसने कहा यहाँ आर० एस० एस० इज्म चल रहा है, यहाँ पर ठाकुरवाद चल रहा है।

यह किसी एक के वक्तव्य को इस तरह से प्रस्तुत करना, मैं समझता हूँ, समिति ने, जिस ऊँचे आसन पर उनको बिठाया गया था, उस ऊँचे आसन की पवित्रता को कलंकित किया है और अपने नाम पर धब्बा लगाया है। यह ठीक है कि यहाँ पर राजनीति का अखाड़ा है, यहाँ पर राजनारायण जी हमारे ऊपर सब तरह के आरोप लगायेंगे, लगाते रहेंगे, लेकिन अगर इस सत्य में ज़रा भी अंश हो तो डूब मरना चाहिये, डूब मरना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिये काफी शर्म की दरकार होनी चाहिये, काफी हया चाहिये उसमें, लेकिन कई बातें ऐसी यहाँ पर कही गईं कि आर० एस० एस० वालों ने वहाँ पर बलात्कार किये, रेप किये, और उन्होंने यह किया कि छात्राओं के होस्टलों पर जाकर व्यभिचार किये। राजनारायणजी यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ इसके लिये प्रमाण वह पेश करें कि जो बातें उन्होंने कहीं थीं वह सत्य हैं और अगर नहीं हैं तो सत्य का तकाजा यह है कि—सत्यवादी हरीशचन्द्र होने का जो दावा वह करते हैं उसका तकाजा यह है कि—यहाँ पर खड़े होकर अपने कहे हुए शब्दों को वापस लें और जो पाप उन्होंने किया है उसका प्रायश्चित्त करने के लिये गंगा जाकर स्नान करें, चाहे वह बनारस का ही घाट क्यों न हो। परन्तु यह सब एक तरफ है और मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, यह उसी डीन आफ एसोसियेशन के मेमोरेण्डम में महोदय, कहा गया : This allegation apparently एलीगेशन है कि वाइस चान्सलर जो है वह आर० एस० एस० या जन संघ से संबंधित है :

It started recently a campaign to malign the Vice-Chancellor alleging that he is associated with the R. S. S. and Jan Sangh in order to tarnish his image of intellectual integrity and his reputation as an impartial administrator. This allegation apparently has been made for the reason that the Vice-Chancellor has after all shown some courage in expelling the most notorious students some of whom also happen to belong to certain political parties.

[डा० भाई महावीर]

राजनारायण जी अब नहीं पूछेंगे वह कौन सी पोलिटिकल पार्टी है, वह नहीं पूछेंगे, लेकिन वह उनकी पोलिटिकल पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया है। श्री सिंह जिनका ये बड़ा गुणगान करते हैं, जिस वक्त वह चुनाव जीते, पीकिंग रेडियो से उनको बधाई की खुशखबरी सुनाई गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह वह छात्र हैं जिन छात्रों की समस्या को यहां खड़े होकर खोला था और क्या छात्रों की अनुशासनहीनता की बात समझी जा रही है। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में सारे देश को सोचना पड़ेगा कि क्या दो, तीन छात्र जो एक चुनाव लड़ने के लिये किसी तरह की अहंता नहीं रखते थे, एलिजबल नहीं थे दो बार एक ही विषय में फेल हो जाने के कारण और अगर उनको रूल के मुताबिक नहीं बनाया गया, या जो इसमें अर्थ लगाया गया कि दूसरा जो है वह चूंकि वाइस चान्सलर का आदमी था, आर० एस० एस० का आदमी था इसलिये वाइस चान्सलर उसके चुने जाने के लिये सब कुछ करता था, इन सारी बातों के बारे में जो इस समिति से अपेक्षा थी, न्याय की, सत्य के खोज की और सही दिग्दर्शन देने की और जिससे यूनिवर्सिटी के अंदर जो जहर घुसा है उस जहर को निकाला जा सके, ये कार्य इस समिति ने नहीं किये हैं। यह मुझे बड़े खेद के साथ और दुख के साथ कहना पड़ता है। इसलिये महोदय, मेरा निवेदन है कि जहां तक यह डीन का स्टेटमेंट है, डीन आफ असोसिएशन का वक्तव्य है, इन सारे वक्तव्यों के होते हुए कहा जाता है कि दो ग्रुप थे। उस दिन यहां पर एक समाचारपत्र की कटिंग ले आए थे राजनारायण जी, यह कहने के लिये कि खून की नदी बहा देने की धमकी वहां दी गई है। मैंने भी देखी वह कटिंग बनारस के समाचारपत्रों में वह समाचार नहीं छपा, कम से कम वह शब्द नहीं थे जो यहां पर आए। लेकिन वह किसने कहे और किसने किस तरह रंग डाल कर यहां पर इसको भेजा, यह सब अगर आप खोज

करेंगे तो आपको दिखायी देगा कि इसमें भी वही षड्यंत्र है जो इस सारे कांड में कुछ लोगों को बदनाम करने के लिये, आर० एस० एस० को बदनाम करने के लिये, जन संघ को बदनाम करने के लिये और कुछ राजनैतिक "डिबि-डेन्ड्स" की खातिर, कुछ क्षुद्र राजनैतिक लाभ की खातिर, किया गया और आज भी किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इन सारे कांडों में और आंदोलनों में समाचारपत्रों ने क्या टिप्पणियां लिखी हैं उस ओर भी देखें। यह समाचारपत्र "टाइम्स आफ इंडिया" हमें गालियां देने में पीछे नहीं रहेगा, जब उसको ऐसा दिखायी देगा, और यदि उसको जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसने भी उसके बारे में इस प्रकार लिखा :

"Neither the S. S. P. nor the C. P. I. leadership realise that the undermining of the prestige of the Vice-Chancellor will let loose forces of anarchy on the campus."

राजनारायणजी उनमें प्रमुख हैं, गेट के बाहर अनशन करने के लिये बैठे थे। अब अगर वह सफल नहीं हुए तो जैसे खिसीयानी बिल्ली खम्भा नोचती है, उसी तरह से सारी यूनिवर्सिटी के शांत जीवन को नष्ट करने की वहां पर कोशिश की गई, उनके चेले चपाटों के द्वारा, मैं उनको दोष नहीं देता, आखिर वह उनके पट्ट शिष्य हैं तो उनकी रक्षा के लिये जो कुछ भी कहना पड़ेगा कहेंगे। और जहां तक इस तरह का दृश्य उनकी कृपा से देखने को मिला है, और कल देखने को मिला, तो अगर जैसी हवा चले उसमें दो कदम आगे हो तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं हो सकती। लेकिन मेरा निवेदन है कि यहां पर जो समाचारपत्र ने लिखा कि आर० एस० एस० . . .

श्री राजनारायण : गांधीजी की हत्या गोडसे ने की, गोडसे की हत्या से आगे चल रहे हैं।

डा० भाई महावीर : आर० एस० एस० के बारे में समाचारपत्र ने लिखा था जिसने वह लिखा उसी ने यह भी लिखा कि :

"They are upholders of old values. They hold teachers in high esteem and are the least indisciplined."

"लीस्ट इन्डिसिप्लिन" एक बड़ा "ग्रजिंग" सा कॉन्सिमेंट है, बड़े संकोच के साथ दिया गया विशेषण है, बड़ी कंजूसी से दिया गया विशेषण है, लेकिन अगर हमें कोई विशेषण दिया गया है तो हमारा यह कहना नहीं है, लेकिन हमारा इतना कहना है कि जो दल वहाँ उड़ड़ना करके, यूनिवर्सिटी के शांत जीवन को भ्रष्ट करके, यूनिवर्सिटी को बंद करवाये, वहाँ के कुछ छात्रों को खाली अपनी राजनैतिक पार्टी के प्रचार के लिये ले जाना चाहे, उसे सारी चीज को वहाँ के आर० एस० एस० के लोग करने नहीं देते थे। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी चलती रहे, खुली रहे, वहाँ पर जो हड़ताल का म्लोगन दिया जाता था उन्होंने उस हड़ताल को नहीं होने दिया। इस तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ एक संगठित विरोध खड़ा करने के लिये जब लोग जमा हो गये तो उनको गुम्मा जहर हो गया कि देखो यह हमारे मन्सूब को पूरा नहीं होने देते। यह सब कारण है इस बात का कि आर० एस० एस० को घसीटा जा रहा है।

प्रचार की बात तो श्री राजनारायण जी से कोई सीखे कि कैसे वहाँ प्रचार किया गया। यहाँ पर कहा गया कि एक व्यक्ति को जो वहाँ पर होस्टल में गया था उसको पीट पीट कर मार डाला, मंघ वालों ने मार डाला। और वह व्यक्ति कौन था... ■ (Interruptions). मैं वही बना रहा हूँ जो है। तो वह कौन था? चोर था, चोरी करते करते पकड़ा गया, फिर छूट कर आया। फिर से एक बार होस्टल में आया, उसकी तलाशी होने पर उसके पास से टेरेलीन की वृणशर्ट, लड्डूकी की कमरे से उतारी गई घड़ी, टाइम पीस और कई तरह का कीमती सामान जब मिला—और जो लड़के राजनारायणजी के अनुयायी हैं वह जो कुछ करते हैं वह सीधे वाइस चान्सलर को कत्ल करने की मकी देते हैं—लेकिन उन लड़कों ने उस चोर

को पकड़ कर पीटा और उस पिटाई के परिणामस्वरूप जब पुलिस के कब्जे में वह गया तो कहते हैं वही मरा...

श्री राजनारायण : झूठ। बिल्कुल झूठ। बिल्कुल गलत बातें हैं। अस्पताल में मरा। उसको पुलिस को मौफा नहीं गया।

डा० भाई महावीर : झूठ नहीं सत्य है। झूठ पर आपका एकाधिकार है। उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ...

श्री राजनारायण : रिपोर्ट तो पढ़ लो क्या कहा है।

डा० भाई महावीर : आप बैठ रहिये।

श्री राजनारायण : रिपोर्ट में उन्होंने कहा है। क्या बोल रहे हो। कायदे से पढ़ो। रपट में उन्होंने लिखा है अस्पताल में मरा है।

डा० भाई महावीर : मैं आपकी अमृत वर्षा जितने प्रेम से सुनता हूँ, मैं चाहता हूँ वैसे ही आप भी सुनें। क्योंकि वह चोर जो था वह संयोगवश मुसलमान था। एक मोका मिला गया कि देखो, यह संघ वाले कितने सांप्रदायिक हैं, मुसलिम था इस वास्ते मार डाला।

एक सतना नाम का कर्मचारी था, उसकी हत्या हो गई, उसकी लाश को बहाया जा रहा है, ऐसी खबर फैलाई गई। कितना कितना कांड रचा, कितना प्रचार हुआ, जैसे दुनिया में और कोई काम नहीं रहा, कोई धंधा नहीं रहा। इधर से उधर शोर मचा रहे थे। भला हो उन कर्मचारियों का—यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारियों को लेकर उसके घर जा पहुंचे, उसको जीता जागता, सोये हुए से जगाकर वापस लाये कि आइये देखिये वही सतना है जिसकी लाश को गंगा जी में बहाया जाने वाला था, जिसको मार डाला था और जिसको बहाया जाने वाला था। यह तो प्रचार के कुछ हथकंडे हैं, यह तो कुछ नुस्खे हैं पोलिटिक्स के जरिये जिससे विश्वविद्यालय में जो शांत

[डा० भाई महावीर]

और अध्ययनशील वातावरण होना चाहिये उसको कुत्सित करने, उसको भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन यह सब होने के साथ महोदया, मेरा निवेदन यह है कि इन सब बातों के साथ जो कमी रही है इस समिति के प्रतिवेदन में, वह एक ओर है। वह कभी यह है कि वहां पर इस माने कांड के जो कुछ लोग वास्तव में उत्तरदायी हैं, उनकी तरफ देखने का प्रयत्न समिति ने नहीं किया। वहां पर एक डा० गोपाल लिपाठी हैं। ये लिपाठी कौन हैं? इन्हें मुदालियर कमेटी ने निकाला था। क्यों निकाला था? क्योंकि इनके ऊपर आरोप यह था कि ये लड़कों को भड़काने हैं, गड़बड़ी पैदा करवाते हैं और अशान्ति फैलाते हैं। जब इन्हें हटाया गया तब ये कोर्ट में गये और कोर्ट में लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट में गये और वहां पर चार्ज बलत होने के कारण नहीं बल्कि टेक्नीकल साउन्ड्स में इन्हें फिर से रिइन्स्टेट कर दिया गया।

श्री राजभारतपण : सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज को गलत बतलाया और उन्हें फिर से रिइन्स्टेट करने के लिए कहा।

(Interruption)

डा० भाई महावीर : वहां पर जो डा० गोपाल लिपाठी थे उन्होंने वहां पर बहुत सी शरारतें कीं। उन्होंने वहां पर जो दूसरे सज्जन रजिस्ट्रार महोदय थे, डा० के० एन० लाल, उनके साथ मिलकर बहुत सी शरारतें कीं। तीन वाइस चान्सलरों के बारे में मुझे जानकारी है कि उन्होंने इनके बारे में फाइल में यह लिखा था कि 'ही इज अनफिट टु बिकम रजिस्ट्रार' इनके भ्राम्य का सितारा इतना बुलन्द था कि ये डिप्टी रजिस्ट्रार बन गये और बनने के बाद जो कुछ उन्होंने किया वह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। उन्होंने तथ्यों को दबाया, फाइलों को दबाया और वाइस चान्सलर के आदेशों की अवहेलना की। फाइल बचाकर, आदेशों की

अवहेलना करके और विद्यार्थी तथा कर्मचारियों को परेशान करके इन्होंने वहां पर इस तरह का वायुमंडल का निर्माण किया जिसमें वहां पर गड़बड़ी पैदा हो। इस तरह का यह पवित्र काम ये रजिस्ट्रार महोदय कर रहे हैं। इन्हीं की तरह एक योग्य दूसरे व्यक्ति सोमस्कन्द नाम के हैं जो शायद डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इन्होंने यूनीवर्सिटी कि 200 फाइलों को गायब कर दिया। वहां पर 13 लाख रुपये का गबन हुआ था और उस गबन संबंधी फाइलों को इन्होंने आफिस से गायब करवा दीं। कैसे गायब हुई, क्यों गायब हुई, इसके बारे में इस समिति ने कुछ भी खोज नहीं की। डा० जोशी पहले वाइस चान्सलर थे जिन्होंने आकर कोई हिम्मत दिखाई और इस तरह के गबन के मामलों के संबंध में कार्यवाही करने का फैसला किया और पुलिस के हवाले यह मामला कर दिया। लेकिन इस कार्यवाही का परिणाम यह हुआ कि डा० जोशी को वहां से हटाना पड़ा और सब तरह की मुसीबत उन्हें झेलनी पड़ी। जो भ्रष्ट अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ छावों को अपने साथ मिला लिया। लाखों रुपयों का जो वहां पर गोलमाल हुआ था उसके संबंध में खोज करने के बजाय इस तरह की वहां पर बाल चली गई कि यह मामला समिति के सामने ही न आने पावे। इन सब का परिणाम यह हुआ, कि डा० जोशी जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने सख्ती की, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने छावों के साथ सहयोग नहीं किया, अगर इन सब बातों को मान भी लिया जाय, तो भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता है और कोई यह नहीं कह सकता है कि उन्होंने पैसे खाये। पैसे खाने वाले जो व्यक्ति वहां पर थे, जो वर्षों से दबे पड़े हुए थे, उन्हें निकाल कर पुलिस के हवाले करने का साहस अवश्य डा० जोशी ने किया था। जो कायर, डरपोक, और भ्रष्ट आफिसर थे सामने आकर लड़ने के बजाय, कोर्ट में लड़ने के बजाय, उन्होंने पीछे से उनके छुरा भारने की कोशिश की। उनको

हथियार कौन मिले ? कुछ राजनीतिक नेता, कुछ राजनीतिक नेताओं के पिछू, कुछ खरीदे हुए लोग जो चीन के इजारे पर नाचते हैं, कुछ ऐसे जो नाम के तो छात्र हैं, लेकिन छात्र का कोई गुण उनमें नहीं है, विद्यार्जन की कोई भावना नहीं है, यूनीवर्सिटी में जाने हैं और पता नहीं वहां पढ़ते हैं या अपना वक्त जाया करते हैं। दूसरों का वक्त जाया करने के सिवाय और कोई हित नहीं दिखाई देता है।

(Time bell rings)

कल आपने श्री राजनारायण जी को सवा घंटा बोलने दिया तो उस समय हम लोग कह रहे थे कि यह क्या हो रहा है। हमने उसी समय कह दिया था कि जब हमारी तरफ से कोई बोलेगा तब आप समय की पाबन्दी न लगा-  
येगा।

SHRI SUNDAR SINGH BHAN-  
DARI : There should be no time-  
limit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI  
AKBAR ALI KHAN) : I have given  
you half an hour.

श्री राजनारायण : इन्हें आध घंटा और दे दीजिये।

डा० भाई महावीर : वहां पर एक और तीसरे सज्जन हैं। वहां पर 144 दफा लगी हुई थी और जब पुलिस लाउडस्पीकर लेकर अन्दर कैम्पस में गई तो इन्हीं महोदय की अनुज्ञा से गई। पुलिस को कैम्पस में जाने की अनुज्ञा न रैक्टर ने दी और न ही वाइस चान्सलर ने दी थी। एक और सज्जन हैं जिनका नाम ज्योति भूषण गुप्त है और जो श्री राजनारायण जी के मित्र हैं।

श्री राजनारायण : 1942 में जब आप लोगों ने भगवा बांधना भी शुरू नहीं किया था तब से वे वहां पर हैं।

(Interruptions)

डा० भाई महावीर : जब आप बोल रहे थे तो हम सब लोग शान्ति से सुन रहे थे। आप

को भी हमारी बातों को शान्तिपूर्वक सुनना चाहिये।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेनेवालों को श्री राजनारायण जी गेज कादम्बरी कहते हैं।

डा० भाई महावीर : राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1948 में तीन साल के लिए आनरेरी ट्रेजरर बना दिया गया। लेकिन एक बार बनने के बाद उन्होंने कई तरह की विकड़म की और वे इस पद पर बने ही रहे। उन्होंने इस पद पर बने रहने पर किस तरह का भ्रष्टाचार किया, किस तरह पैसे खाये, इसके संबंध में महोदय, मेरे पास फोटोस्टेट कापी हैं और मेरे पास बहुत सी काटिंग हैं। मेरे पास यह भी खबर है कि वहां पर पुलिस ने एक सट्टा पकड़ा था और इसमें इनको जर्माना हुआ था, एक हजार का जर्माना इन्हें सट्टेबाजी करने के अपराध में हुआ था और मैं इसकी काटिंग दे सकता हूं। कमेटी के सामने इस चीज को पेश किया गया था।

(Interruptions)

श्री राजनारायण : इस संबंध में जो चोइ समिति के सामने पेश की गई थी उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। यह चार्ज बिल्कुल झूठा है। भंडारी जी इन्हें बतला रहे हैं वही वे कह रहे हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसको उन्हें सजा मिलनी चाहिये। इस बात की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिये और यहां पर इस तरह की गलतबयानी नहीं की जानी चाहिये। [interruptions]

डा० भाई महावीर : मझे पता है कि श्री राजनारायण जी अपने स्नेही मित्रों की बात समर्थन करने में चूकेंगे नहीं। उन्होंने इस बात का समर्थन तो किया कि समिति ने हमारे जापन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हमने उनको इस संबंध में जापन दिया था। उन से हमने रसीद ली थी, एकनालेजमेंट लिया था, फिर भी उन्हें इस

[डा० भाई महावीर]

जापन के बारे में जांच करने की फुर्सत नहीं मिली कि वह आनरेरी ट्रेज़रर जिसके ऊपर 60 हजार रुपये के श्वन का केस था, जिसके ऊपर 40 हजार रुपये के श्वन का मुकदमा था, वह श्री ज्योति भूषण गुप्ता ही था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री राजनारायण जी उनके वहाँ ठहरते हैं या नहीं और वहाँ से प्रेस स्टेटमेंट देते हैं या नहीं। वे उनके दोस्ते हैं।

**श्री राजनारायण :** ये गलत और झूठ बात बोलते हैं और वहाँ पर गलतबयानी करते हैं। ये अभी बच्चे हैं और राजनीति के विधुर बच्चे हैं। श्री ज्योति भूषण बनारस में रहते हैं। वे हमारे मित्र हैं और मन् 1942 में हमारे साथ काम करते थे। 1942 के आन्दोलन में जब श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री रामानन्द मिश्र जी, और श्री सुरज प्रसाद जी को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था तो जब ये लोग जेल से भागे थे तो उन्होंने ही बनारस में अपने वहाँ संरक्षण दिया था। डा० लोहिया, अच्युत पटवर्धन और श्री मोहनलाल गोतम भी इनके वहाँ ठहरते थे। श्री ज्योति भूषण ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा काम किया और अंग्रेजी साम्राज्य के गढ़ को ढहाया था। इस तरह की ओछी और थोथी बात करना शोभा नहीं देता है। ये सब लगी बातें हैं। मैं श्री ज्योति भूषण के घर में कभी नहीं रहा। वे भी हमारे घर में आते थे और मैं भी उनके घर में जाता था।

**डा० भाई महावीर :** मैं श्री राजनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अभी तक समदीय शिष्टाचार के अन्दर चल रहे हैं और उनके लिए बड़ी सम्मान की बात करते हैं। जब हम उनके मित्रों का नाम लेते हैं तो वे यह कोशिश करते हैं कि हम गलतबयानी कर रहे हैं। वे यह न समझें कि यहाँ पर श्री टी० एन० सिंह जी जो बंटे हुए हैं, उनके जोरों से चिल्लाने के कारण और अपनी शरफत

की वजह से चुप हो जायेंगे। मैं भी इसी तरह की भाषा में बोल सकता हूँ और इस चीज का जवाब दे सकता हूँ।

(Interruptions)

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, मैं इस बात में चुप नहीं रह सकता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर झूठ, असत्य और गलतबयानी कर रहे हैं। हाथी चला जायेगा मगर कुत्ता भूकते ही रह जायेगा। श्री ज्योति भूषण जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके बारे में कोई गलतबयानी करता है तो उसको आपको रोकना चाहिये। श्री ज्योति भूषण जी सदन के बाहर रहते हैं और एक आदमी उनके बारे में बिल्कुल झूठी बातें कहे, असत्य बात कहे और गलतबयानी करे तो यह केयर का कर्तव्य हो जाता है कि जो आदमी सदन के अन्दर नहीं है उसके बारे में गलतबयानी न की जाय।

(Interruptions)

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** आप को जवाब भी सुनना चाहिये।

4 P.M.

**डा० भाई महावीर :** महोदय, फोटोस्टाट कापीज़ हैं, कटिंग है जिन का मैं उल्लेख कर रहा हूँ और जिन के बारे में कहा जा रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ। इनमें यह कहा गया है कि वाराणसी के 22 प्रमुख व्यवसायियों पर 11 हजार रुपया जुर्माना और अवैध चोरी का मुकदमा...

(Interruption)

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, इनसे पढ़वाइये कि वे 22 व्यवसायी कौन हैं। वे सब जनसंघी होंगे।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** इस तरह से इनकी भी किसी दिन नहीं चलेगी।

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इनसे 22 आदमियों के नाम पढ़वाइये ताकि यह पता चल जाय

कि उनमें कितने जनसंघी हैं। शहरों में जो बड़े बड़े रोजगारी हैं वे सब जन संघ के सदस्य हैं।

(Interruption)

डा० भाई महावीर : मेरे पास यह स्पेशल आडिट रिपोर्ट है . . .

(Interruption)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : As you have already submitted it to the Committee, you need not say it.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Because the Committee had not considered it, it must be put before the House.

डा० भाई महावीर : यह अकाउंटेंट जनरल श्री एच० सी० मलिक की रिपोर्ट है, जो उन्होंने ब्यांग आफिसर के बारे में लिखा यह जो है यह डाइंग आफिस के बारे में अर्थात् इन्हीं सज्जन के बारे में कहा गया है। मेरा निवेदन यह है कि यह सारा जो कुछ हुआ है, इसको आप देखिये कि क्यों हुआ है। 1964 में जो इस तरह का गबन हुआ था उसके बारे में पुलिस ने कहा था कि 60 हजार रु० का गबन हुआ है। रिपोर्ट यह दी गई थी कि 10 हजार का गबन हुआ है। पुलिस ने जब उसकी खोज की तो उसने कहा कि यह 10 हजार का नहीं बल्कि 60 हजार का गबन है। उसमें से 30 हजार के गबन का मुकदमा अभी तक नहीं चला था। डा० जोशी का यह दुर्भाग्य था कि वे इस चीज को सहन नहीं कर सके और वह मुकदमा कोर्ट में गया और उस का परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। यहां

"In accordance with the requirements of the Rule, embezzlement to the extent of Rs. 30,000 would not have possibly occurred."

पर आ कर यह कहा जा रहा है कि ज्योति भूषण गुप्त इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उन का नाम क्यों लेते हो? लेकिन बाकी जिन का नाम हमारे इन्हीं मित्र के द्वारा लिया जाता है उन में से कितने इस सदन में जवाब देने के लिए उपस्थित रहते हैं, उस को ये भूल गये। लेकिन मुझे यह सब याद है।

मेरा निवेदन यह है कि बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर एक कांड हुआ। कुछ इस तरह के अंसर वहां पैदा हो गये जिन्होंने वहां पर किसी तरह का न्याय, किसी तरह के नियम या किसी तरह के अनुशासन को न रहने देने का फैसला किया। वहां पर जो डा० पटवर्धन है उन के ऊपर छुरे से हमला किया गया और जो चीफ प्राक्टर का कार्यालय है उस पर हमला किया गया। वाइस चांसलर की कार को रोक कर के उस के शीशे तोड़े गये, उस का झंडा फाड़ा गया और डाइवर और चपरासियों को पीटा गया। वह सज्जन जो खास उन के मित्र हैं वह महिलाओं के होस्टल के द्वार को तोड़ कर अंदर चले गये और उस के फाटक को तोड़ने की कोशिश की। यह सब कुछ होता रहा है और इस के साथ वाइस चांसलर को कत्ल करने की धमकी दी गयी। जब जग-जीवन राम जी वहां पर गये हुये थे तो उस समय यह सारा कांड जो किया गया वह इस वास्ते किया गया कि केन्द्र के मंत्री आये हैं, उन के सामने वाइस चांसलर को बदनाम करवाया जाय ताकि वह यहां पर न टिके रह सकें। यह सारा कांड जो हुआ है वह वाइस चांसलर के खिलाफ हुआ है। मैं वाइस चांसलर को जानता नहीं हूँ। मैं ने कभी उन्हें देखा नहीं है और मैं उन से कभी मिला नहीं हूँ। लेकिन उन से कभी न मिलने के बाद भी मैं यह समझता हूँ कि उन के साथ अन्याय हुआ है। यहां पर हमारे माननीय मित्र छागला जी ने जो बात कही थी मैं उस की याद शिक्षा मंत्री जी बने दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा था कि आज हमारे यहां जो शिक्षा संस्थाओं की

[डा० भाई महावीर]

हालत है उस में कोई भी अध्यापक अपने सम्मान और अपनी जान की रक्षा आसानी से नहीं कर सकता है। लड़के जब परीक्षाओं में नकल करते हैं तो वे अपने सामने कटार रख लेते हैं। अगर उन से कोई कुछ कहता है तो वे कह देते हैं कि ये देखते हो या नहीं। ऐसी स्थिति में आप के पास ईमानदार लोग जो हिम्मत के साथ, सच्चाई के साथ किसी संस्था की पवित्रता के लिए खड़े हो सकें, वह हैं कितने? लेकिन यह सब होने के बाद भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। और इस का परिणाम यह हुआ कि वहां पर वाइस चांसलर ने एक वक्तव्य दिया कि वहां पर अध्यापक कितने हतप्रभ हो चुके थे इस का सबूत यह है कि एक प्रोफेसर को लड़कों ने पीटा, पीटने के बाद यह हुआ कि वहां तीन चार आदमियों की एक कमेटी बनायी गयी ताकि इस मामले में वह छान बीन कर के अपनी रिपोर्ट दे लेकिन उस कमेटी को मीट करने का साहस नहीं हुआ। जिस यूनिवर्सिटी की यह हालत हो वहां पर एक आदमी जा कर के डिमिशन रिस्टोर करने की कोशिश करे, अनुशासन लाने की कोशिश करे तो यह बहुत कठिन काम है। इस कठिन काम में उस को अगर सब तरफ से सहयोग मिलता तो वह कुछ कर सकता था, लेकिन हुआ यह कि उस के रास्ते में रुकावटें डाली गयीं और उस को वहां से हटाने की कोशिश की गयी। इस सिलसिले में कमेटी ने कहा है कि उन्होंने गलत प्रोसीजर फालो किया। यहां पर डाक्टर राव विराजमान हैं। मैं इन का शि। शास्त्री के रूप में, अनुशासक के रूप में, डिमिशन लविंग एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सम्मान करता हूं। मैं इन से पूछना चाहता हूं कि ये अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते और इन की कार को रोक कर के उस के शीशे तोड़े जाते, इन का झंडा छाव फाड़ देते, इन के ड्राइवर को पीटते और इन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते तो क्या ये वहां पर बैठ कर

के कोई इक्वायरी शुरू कराते और किसी दूसरे से कहते कि तुम हमारी भी एवीडेंस लो, उन की भी एवीडेंस लो और फिर कोई फैसला करो। वास्तव में होता यह है कि अगर किसी के बारे में पता न हो तो आवश्यकता यह होती है कि जांच करा कर उस का पता लगा लिया जाय। लेकिन जब अपनी आंखों में विश्वविद्यालय का जो उच्च अधिकारी है वह यह देखता है और उस के साथ यह बीतती है, उस के बाद भी यह कहना कि प्रोसीजर गलत हुआ है, यह बहुत बड़ा अन्याय है। अब मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह देखा जाय कि इस कमेटी ने क्या कहा है। पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने जो कहा वह यहां पर दिया गया है। उन का नाम न लेते हुए यह कहा गया है, एक साहब ने अपने वक्तव्य में जो कहा है उस को हम यह नहीं समझते हैं कि वह गलत कहा गया होगा, लेकिन यह भी कहा गया है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह ठीक ही कहा है। फिर भी डाक्टर हृदय नाथ कुंजरू ने जो शब्द कहे वे इस में दिये गये हैं। उन्होंने ये शब्द कहे हैं—

"...in his opinion, the admission of Mr. Majumdar, Mr. Ravi Shankar Singh and Mr. Sinha without previous discussion with the Executive Council and contrary to the previous decisions of the appropriate authorities is, in the last analysis, responsible for the outburst of the recent agitation on the University campus ... we should hesitate to impair the status and position of the present Vice-Chancellor. He reminded us that the active, politically-oriented student-leaders who had spear-headed the violent agitation on many occasions during the recent period have been publicly clamouring for the resignation or removal of Dr. Joshi, and his view was that if as a result of our recommendations Dr. Joshi relinquished his position as Vice-Chancellor, these active leaders would deem it as their own victory and that would not only strengthen politically-oriented activist forces on the University campus, but would eventually build up student power in its purely political form."



मेरा इतना ही कहना है कि जो कुछ हुआ है उस सारे के परिणामस्वरूप यह बिल आया है और बिल तो पास हो जायगा, जिस तरह से फैसला किया गया वह सारा करने के बाद यूनिवर्सिटी की बाडीज नामिनेटेंड हो जायेगी। लेकिन जो नामिनेटेंड बाडीज हैं उन के रहते हुए यह गबन 1964 में हुआ। मैं मैं महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो नामिनेटेंड बाडीज बना देना ही किसी बात का हल नहीं है। यह टेम्पोरेरी प्रीरियड है, इस में आप को व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन वह व्यवस्था क्या होगी। जो भाव, जो स्प्रिट, जो दृष्टिकोण इस कमेटी की सारी रिपोर्ट में झलकता है वह दृष्टिकोण रखकर अगर आप आगे की व्यवस्था करने वाले हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर बह्ना भी कोई नये किस्म का वाइस चांसलर बना कर आप के पास भेजें जो कि इस तरह से स्टूडेंट्स के लीडर्स के इशारे पर चले तो वहां यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, एकेडेमिक लाइफ नहीं रहेगी और वहां की तरह का विद्याध्ययन नहीं होगा।

जो आई० आई० टी० या टेक्निकल फैकल्टी को मिलाने की बात है यह खाती जो इस के डा० त्रिपाठी हैं उन के हित में उनकी भलाई के लिए इस वक्त की गयी है। नहीं तो सारी रिपोर्ट में मुझे इस बात के लिए कोई तर्क नहीं दिखाई देता...

**श्री महावीर प्रसाद शुक्ल :** उसमें 2500 विद्यार्थियों का हित है और आगे आने वाले विद्यार्थियों का भी हित होगा।

**डा० भाई महावीर :** आपने अपनी बात कह ली। वह हित जो है वह समिति ने कहीं पर स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने जो कहा है वह सिर्फ एक वाक्य है कि 19 साल की उम्र मिनिमम रहनी चाहिए। जो हमारे नौजवान हैं वे सब 25 साल के आसपास हैं। 19 साल की उम्र की पाबन्दी लगाने से कोई भला नहीं होगा।

इसलिए मेरा निवेदन है, — जैसा कल हमारे माननीय श्री चागला साहब ने कहा कि अध्यापक की प्रतिष्ठा को बचाइए, अध्यापक की प्रतिष्ठा यदि नहीं रही तो आप सारे देश में किसी विश्वविद्यालय, किसी कालेज या किसी स्कूल के एटमासफियर को बचा नहीं सकेंगे और रोज शिक्षा मंत्री को इस तरह के बिल लाने पड़ेंगे, रोज सदन का समय खर्च होगा। वह दुर्भाग्य का दिन होगा जब लोगों को यह लगे कि इस तरह की गुंडागर्दी के परिणामस्वरूप यूनिवर्सिटी को झुकाया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार को दबाया जा सकता है और अपनी मनमानी कारवाई जा सकती है। यह सोचकर मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री इस सारे प्रश्न पर विचार करें और आगे जो योजना बनाएं वह ठीक प्रकार से बनाएं।

**श्री चन्द्रशेखर :** उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पीछे एक बड़ा इतिहास है। इस सदन में पिछले दो साल के अन्दर कई बार हमने इस विषय पर विचार किया है।

आज दो तरह के विचार इस सदन के समक्ष उपस्थित किए जा रहे हैं। हमारे पूर्व-वक्ता ने कुछ भावना के साथ और कुछ बड़े जोश के साथ कुछ बातें कहीं, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि अपने विचारों की पुष्टि में उन्होंने यह आवश्यक समझा कि समिति के ऊपर भी दायित्व ठोका करें। मैं इसे उनकी विचारधारा की अभिव्यक्ति मात्र मानता हूँ। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जनतंत्र की बातें करते हैं, जो न्यायपालिका की स्वाधीनता की बात करते हैं, जब उनको अवसर मिलता है तो इस बात के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं कि हर किसी मामले में न्यायाधीशों को नियुक्त करना चाहिए लेकिन एक अनोखी बात है कि अगर न्यायाधीश का फैसला हमारी इच्छा के विरुद्ध, हमारी जो मान्यताएं हैं, जो विचार हैं उनके विरुद्ध हो तो फिर हमें ऐसे लगने लगता है कि न्यायाधीश के ऊपर

[श्री चन्द्रशेखर]

कोई दबाव पड़ गया। किन चीजों का दबाव पड़ा; नहीं मालूम।

हमारे मित्र डा० महावीर ने प्रारम्भ ही यहां से किया कि बहुत सी बातें इस रिपोर्ट में ऐसी कही गईं जोकि टर्म्स आफ रिफरेंस में नहीं थीं। अगर उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है तो उन्होंने इसके दूसरे अध्याय के प्रथम खण्ड में ही कहा है कि जब हम इस पर विचार करने लगे कि हमारी कार्य-प्रणाली कैसी होनी चाहिए तो हमने सोचा कि इस विश्व-विद्यालय के प्रांगण में यह सारी दुर्घटनाएं खड़ी हो रही हैं, उनके कारणों को जानने के लिए जब हम विचार करेंगे और उसमें कोई ऐसा बयान आएगा, कोई ऐसा आरोप आएगा जिनकी जांच के लिए परिधि के बाहर जाना पड़े तो हम उस परिधि के बाहर जाकर भी उस जांच को करें। उन्होंने यह भी कहा कि कारणों को जानना हमारा प्रथम कर्तव्य है, यह नहीं कि किन लोगों की गवाही ली गई और किस सीमा तक हम गए। अगर इस विचार में उन्होंने किया तो उसमें उनका कहां अपराध है।

उन्होंने कहा इस न्यायाधीश के द्वारा जिस समिति की अध्यक्षता की गई उस समिति का जो निर्णय है वह दबाव के कारण है, लेकिन उसके 5 मिनट के बाद उन्होंने एक दूसरा पर्चा पेश किया। मैं नहीं जानता कितने डीनों ने, 10 या 11 ने, कोई पर्चा लिखा है कि जो वाइस चांसलर महोदय हैं, उपकुलपति हैं वे न्याय की मूर्ति हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि क्या आप समझते हैं, क्या सदन समझता है कि इन 10 डीनों के ऊपर दबाव पड़ सकता है, क्या उन्होंने घूस लेकर किया है। सामान्य स्थिति में डा० महावीर कभी ऐसा नहीं कहते। गजेन्द्र गडकर ऐसा आदमी तो इस देश का मुख्य न्यायाधिपति रहा है और जब वे इस देश के न्यायाधिपति रहे किसी ने उनकी प्रतिष्ठा के बारे में सन्देह नहीं किया। अगर उनकी

अध्यक्षता में कोई समिति रिपोर्ट बनाए और वह उनके विचारों के विरुद्ध पड़ती है तो उन पर आरोप लगाने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती लेकिन 10-11 डीन जो उस सारी गड़बड़ियों में डा० जोशी के साथ साझीदार थे, जिन्होंने सारी नियुक्तियों में जोशी के साथ हिस्सा लिया और यही नहीं इस समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एग्जीक्यूटिव कौंसिल को स्टैंडिंग कमेटी को तोड़ने की सिफारिश की है, इन सारी समितियों में ये 10-11 डीन मेम्बर थे, उनके स्वार्थों के ऊपर सीधा हमला है, अगर वे कोई रिपोर्ट देते हैं वह भाई महावीर जी को मंजूर है लेकिन गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई है उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। महोदय, यह सवाल नहीं है कि किसने किसकी सिफारिश की। मैं यह भी नहीं जानता कि कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है। मैं भाई राजनारायण जी से इस बात में सहमत नहीं हूँ कि कोषाध्यक्ष महोदय सदन में नहीं हैं, उनके बारे में बातें नहीं कही जानी चाहिए। एक अधिकारी के रूप में अगर उन्होंने कोई सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह किया है और किसी को आलोचना करनी है तो उसे पूरी आजादी है, डा० महावीर को पूरी आजादी है आलोचना करने की।

मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे जहनियत क्या है, मनोवृत्ति क्या है और यह रिपोर्ट किस दिशा में संकेत करती है। दो-तीन बातें पिछले समय में उठाई गईं। उस समय जो भी विचार, जो भी तथ्य इस सदन के सामने आए उसके लिए मैं भाई राजनारायण जी को बधाई देता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं राजनारायण जी के विचारों से सहमत हूँ, आप जानते हैं कि बहुत कम अवसर आते हैं जब मैं राजनारायण जी के विचारों से सहमत होता हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि एक ऐसा भी अवसर आया जब विश्वविद्यालय के अन्दर प्रधान मंत्री जाने वाली थी तो भाई राजनारायण जी ने एक वहां पर अभिनय किया।

और काफी गड़बड़ी भी हुई, लेकिन मैं एक फर्क करता हूँ।

**श्री राजनारायण :** गलत इनफोरमेशन मत दो, मैं बाहर गया हुआ था, घर पहुँचते ही गिरफ्तार कर लिया गया।

**श्री चन्द्रशेखर :** मैं जानता हूँ राजनारायण जी ऐसा अभिनय कर सकते हैं जिसमें शोर-शराबा हो, जिसमें हुड़दंग दिखाई पड़े लेकिन भाई राजनारायण जी ऐसी किसी मनोवृत्ति को बल नहीं दे सकते जिसमें साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को शक्ति मिले या राजनारायण जी ऐसी शक्ति को बल नहीं दे सकते जिससे इस देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए हिंसा की प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिले। वे जोश में, जुनून में, बहादुरी में कल्ल आदि की बात कर देते हैं किन्तु उनके मानस को मैं 25 बरस से जानता हूँ...

**एक माननीय सदस्य :** कायर है।

**श्री चन्द्रशेखर :** मैं नहीं कहता कि वे कायर है। मैं यह कह रहा था कि उनके मन में यह बात बैठी हुई है धर्मनिरपेक्ष राजनीति जिसमें हिंसा का स्थान नहीं होगा, लेकिन दूसरे जो तत्त्व विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, जिनका पर्दाफाश राजनारायण जी ने किया वे हमारी मौलिक मान्यताओं, मौलिक सिद्धान्तों पर कुठाराघात करते हैं। मैं मानता हूँ कि विश्व-विद्यालय विद्यार्जन के पुण्य स्थल हैं, मैं मानता हूँ कि इन विद्या भन्दिरों में विद्यार्जन होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ—इस रिपोर्ट में भी कहा है—क्या खाकी पेन्ट, सफेद कमीज पहन कर, लाठी लेकर और भगवा ध्वज लेकर जो लोग जाते हैं वे विद्यार्जन करने के लिए वहाँ जाते हैं? क्या वह भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का प्रतीक है? क्या आज आर० एस० एस० की विचारगोष्ठियों में जो भाषण दिए जाते हैं, जो विद्वेष की भावना व्यक्त की जाती है क्या वही हमारी विचार-

धारा का अंग होने जा रही है, हमको और आपको इस बात पर सोचना है।

**श्री प्रेम मनोहर :** कभी आपने सुना है?

**श्री चन्द्रशेखर :** पढ़ा है।

**श्री प्रेम मनोहर :** कहाँ पढ़ा है?

**श्री चन्द्रशेखर :** आपकी किताबों में, डा० हुडगेवार की किताब में।

**श्री प्रेम मनोहर :** क्या पढ़ा है?

**श्री चन्द्र शेखर :** आप हमसे बहस मत कीजिए। (Interruption) अगर आप चाहते हैं तो मैं दूसरी भाषा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। महोदय, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं ने कुछ नहीं कहा है, मैं अजानी हूँ इस बात में, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि जनसंघ के लोग तो थोड़े कम, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग ऐसा मानते हैं कि जो हिन्दू धर्म में विश्वास नहीं करता उस को इस भारतीय संस्कृति में बराबरी का हिस्सेदार होने का कोई हक नहीं है?

**श्री निरंजन वर्मा :** ऐसा नहीं है। मैं चन्द्र-शेखर जी से निवेदन करूंगा कि कृपा कर जिस संस्था के बारे में उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, और जिन बातों के बारे में अध्ययन नहीं किया है उन के संबंध में उन को कुछ नहीं कहना चाहिए।

**श्री चन्द्रशेखर :** मैं यह कह रहा था कि इस महान संस्था का नाम ले कर देश में कैसे विचारों का प्रचार किया जाता है। आप कानून के पंडित हैं, बेमार कांस्टीट्यूशन को जब हिटलर ने तोड़ा था तो उसने उस संविधान को नहीं तोड़ा था और पार्लियामेंट के जरिये अधिनायकवाद जर्मनी में आ गया था क्योंकि उसने लोगों के दिलों में यह भावना पैदा की थी कि वे रेगिस्तानी मुपीरियर हैं। उन्होंने यह कहा था कि एक विशेष तरह के लोग ही शासन करने के अधिकारी हैं। मैं ने चाहे और कुछ अध्ययन किया हो या

[श्री चन्द्रशेखर]

नहीं, लेकिन जो जमातें और संस्थाएँ फिरकेदाराना जहनियत को बढ़ावा देती हैं, जो धर्म के नाम पर, फिरके के नाम पर देश की राजनीति को चलाना चाहती हैं वह जाने अनजाने इस देश में अधिनायकवाद पैदा करना चाहती हैं और उन संस्थाओं में, उन शक्तियों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक प्रमुख संस्था है और उसका नाम सर्वोपरि है। और दूसरा कोई कहे या न कहे, मैं नहीं कहता कि जनसंघ ने हत्या करा दी गांधी जी की। मैं यह नहीं कहता कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने उन की हत्या की, लेकिन क्या आप इस से एतराज करेंगे कि जो वातावरण, जो माहौल आज देश की सियासत में, देश की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पैदा किया उस की वजह से एक नफरत का तूफान इस देश में बरपा हुआ और हमारे मुल्क पर तारीकी के बादल छाये और उस का नतीजा 1948 की 30 जनवरी को सारे मुल्क को देखना पड़ा।

**श्री निरंजन वर्मा :** हिन्दुस्तान में एक आदमी ने जो बात की उस के साथ सब को क्यों जोड़ते हैं ?

**श्री चन्द्रशेखर :** आप नादान हैं सियासत के मामले में। आप बैठिये। मैं जानता हूँ कि कानून के जरिये गलत केस को निरंजन वर्मा जी सही साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों के विश्लेषण करने में मैं उन से अधिक अहलियत और काबलियत रखता हूँ यह उन को मानना चाहिए।

**श्री निरंजन वर्मा :** मैं आपकी काबलियत को धन्यवाद देता हूँ इस के लिए। संसार में बहुत से आदमी स्वयं आत्मश्लाघा करते नहीं थकते।

**श्री चन्द्रशेखर :** मैं नहीं कहता कि आप नादान हैं, लेकिन इस बारे में आप नादान हैं

वरना आप जैसा आदमी जनसंघ में नहीं रहता। मेरे पास उन की इस नादानी का दूसरा सबूत नहीं है सिवाय इसके कि वह जनसंघ के सदस्य हैं। वह नफरत की राजनीति से दूर हैं और आपसी व्यवहार में वह बड़े मित्रवत् हैं, लेकिन जिस राजनीति को वह चला रहे हैं उस राजनीति ने देश का वातावरण खराब होता है। राजनारायण जी ने पिछली बार जब इस बात को उठाया था तो मैंने उन की बातों को इसी-लिए स्वीकार किया था। अगर इस पार्लियामेंट में विचारों का परस्पर संघर्ष हो तो कोई हर्ज नहीं, राजनीति के मैदान में आपस में राजनीति विचारों का संघर्ष करें वह भी ठीक है, किन्तु विद्या मंदिरों को जब हम इन बातों में घसीटते हैं तो उन से हम क्या सीख सकते हैं? यह विद्या मंदिर तो जब चारों तरफ अंधकार हो रहा हो उस समय प्रकाश मंदिर होने चाहिये, जब समाज को चारों तरफ तारीकी नजर आ रही हों, जब चारों तरफ अंधकार आया हुआ हो तो ऐसे समय में इन विद्या मंदिरों से एक नयी ज्योति और एक नया प्रकाश निकलना चाहिए। हमारे मित्र राजनारायण जी ने कहा कि वहां पर कत्ल हुआ, लेकिन वह आदमी चोर था और संयोग से वह मुसलमान था। मैं यह नहीं कहता कि वह मुसलमान था या हिन्दू था, वह आदमी तो था। वह चोर था यह भी मैं मानता हूँ। लेकिन क्या हमारा समाज, हमारा जनतंत्र और हमारी संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था इस बात का हक किसी को देती है कि अगर एक आदमी पकड़ा जाय तो उस को कुत्ते की तरह मार कर कत्ल कर दिया जाय? अगर मारा जाय और उस पर पुलिस एतराज नहीं करती तो न करे, मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन एक वाइस चांसलर, एक विद्या मंदिर पर बैठा हुआ सब से बड़ा आदमी यदि उस चीज को नजरअंदाज करता है तो उस को देख कर मुझे शर्म आती है और इस सदन में भारतीय संस्कृति का समर्थन करने वाले लोग इस बात का समर्थन करते हैं। यह एक घटना काफी है जोशी को न केवल उस विश्वविद्यालय

से हटाये जाने के लिए, बल्कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों को रहने की कोई अनुमति समाज को नहीं देनी चाहिए। यह एक छोटी सी घटना हमारे और आप के लिए हो सकती है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे देश की सियासत के आने वाले दिनों के लिए यह एक इशारा है कि किस तरह हमारे देश की राजनीति को कुछ लोग ले जाना चाहते हैं। मैं शुरू में कह रहा था इन लोगों के बारे में कि जो विश्वविद्यालय के प्रांगण में अपनी शाखाएँ चलाते हैं और वे शाखाएँ केवल इसी बात के लिए हैं कि कुछ लोग वहाँ लोगों में इस तरह की जहूनियत पैदा करें। महोदय, मैं आप से पूछता हूँ, आप वकील हैं। आप ने कत्ल के बहुत से मुकदमे देख होंगे, किन्तु इस दिल्ली में किसी सड़क पर, जहाँ पर विद्या मंदिर नहीं है, जहाँ पर अध्यापक या विद्यार्थी नहीं रहते, अगर कोई चोर पकड़ा जाय और उसे डेले मार मार कर, डंडे मार मार कर, जूते मार मार कर कत्ल कर दिया जाय तो क्या आप का जमीर इस बात की गवाही देगा कि आप उस का समर्थन करें, लेकिन वह आर० एस० एस० की ट्रेनिंग है, वह अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ हैं जो हमारे भाई डा० महावीर को मजबूर करती हैं कि उस को चोर समझ कर यह कहें कि यह कोई बड़ी घटना नहीं है जिस पर हल्ला मचाया जाय। कोई भी सभ्य समाज इस एक घटना को सहन नहीं कर सकता है।

दूसरी बातें जो कही गयी हैं उन पर मैं नहीं जाना चाहता। किस ने व्यभिचार किया या नहीं किया यह अलग बात है, लेकिन अगर वह बातें हुई और कोई वाइस चांसलर उन पर कार्यवाही नहीं करता तो उस के बारे में आप क्या कहेंगे ?

मैं एक दूसरा सवाल आप के सामने रखना चाहूँगा कि यह रिपोर्ट जो आज आयी वह किन परिस्थितियों में आयी। यह मजबूर हो कर करना पड़ा, मजबूरी में इस को बनाना पड़ा।

उस की कार्यवाही में किस प्रकार अड़ंगा डाला गया, किन किन लोगों ने अड़ंगे डाले, अगर उन के मन में कोई चोर नहीं था तो मैं जानना चाहता हूँ कि वे अड़ंगे क्यों डाले गए ?

दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। विजिटर के पास हमारे शिक्षा मंत्री जी की ओर से कोई कागज भेजा जाता है, महिला विद्यालय की कोई प्राध्यापिका थी, उन्होंने नियुक्ति के बारे में अपना प्रार्थना पत्र दिया था विजिटर के पास, उस के ऊपर कागज भेजा जाता है वाइस चांसलर के पास। वहाँ कागज को छिपा लेते हैं और दूसरा आदेश जारी कर देते हैं। टेक्नालाजी के बारे में कोई कागज केन्द्र से भेजा जाता है, उस कागज के फंसलों को छिपा लिया जाता है। असत्य के बल पर जो वाइस चांसलर अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहता हो उस वाइस चांसलर के लिए हमारे मित्र डा० भाई महावीर समझ रहे हैं कि एक नयी परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के लिए डा० जोशी साहब प्रयास कर रहे थे इस लिए डा० जोशी साहब के विरुद्ध कुछ लोग हो गये, यह सच नहीं है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग विरुद्ध होंगे, उन के वेस्टड इंटरैस्ट होंगे, लेकिन जो यह काम किये गये, मैं एक दो घटनाएँ ही कहता हूँ, उस पर डा० जोशी ने अगर कोई कदम नहीं उठाया तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं उठाया और उन के कदम न उठाने की वजह से अगर आज वह हटायें जायें तो इतना ही काफी नहीं है, हम ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में तो खैर बहुत तरह के लोग रहते हैं वहाँ पर आर० एस० एस० भी चलता है और दूसरे देशों से मिले हुए लोग भी चलते हैं लेकिन शिक्षा जगत से ऐसे लोगों का संबंध हमेशा के लिए तोड़ देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस के लिए कायदे कानून में कोई व्यवस्था है या नहीं, लेकिन सरकार के पास ऐसी व्यवस्था तो जरूर है कि ऐसे लोगों को शिक्षा जगत से हटा दिया जाय।

मैं दूसरी बात आप के सामने, महोदय, यह कहना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट के बाद जो यह

[श्री चन्द्रशेखर]

विधेयक आया है उसमें बहुत से अधिकार सरकार ने अपने कब्जे में लिए हैं, लेकिन इस का उपयोग किस बात के लिए होना चाहिए ? इस बात के लिए होना चाहिए कि यह जो गड़बड़ियाँ हैं, यह जो बीमारियाँ हैं उन को दूर किया जाय, लेकिन इन को दूर करने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे विश्व-विद्यालय को फिर से अपना काम करने की सही रूप में और स्वच्छंद रूप से क्षमता प्राप्त हो और उस को शक्ति मिले।

महोदय, एक बात मैं और कहूँ कि इन सारी घटनाओं के पीछे राजनैतिक वातावरण किसने बनाया। यही देखने की जरूरत है। क्या यह अपने आप बन गया ? बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय में थोड़े दिन मैं भी रहा हूँ, मैं वहाँ से कुछ परिचित हूँ। आखिरकर उस विश्व-विद्यालय में कोई भी व्यक्ति जा कर के अपने अध्ययन का कार्य कर सकता था। इस वातावरण को दूषित किसने बनाया ? इस रिपोर्ट में एक जगह नहीं कई जगह कहा गया है कि विश्व-विद्यालय के अधिकारी और खास तौर पर एक उपकुलपति विद्यार्थियों के अन्दर फूट डाल रहे थे, विद्यार्थियों के, उनके छात्र संगठनों में जो चुनाव हो रहे थे उसमें उन्होंने बड़ा हिस्सा लिया, यही नहीं, लोगों को अपने घरों में छिपाया, लोगों को अपने घरों में रख कर के उन्होंने एक साजिश की। इस तरह का काम कोई उपकुलपति करने लगे तो कोई छात्र-संगठन किस तरह ठीक चलेगा। उपकुलपति महोदय ने छात्र-संघ में इतनी गड़बड़, इतनी अनुशासनहीनता कर दी तो कमेटी ने सुझाव दिया कि इन छात्र-यूनियनों का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष कर दिया जाय। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं डा० भाई महावीर से कहूँगा, कि अध्यापकों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और अध्यापकों की प्रतिष्ठा होती भी है, उसी विश्वविद्यालय में बहुत से अध्यापक हैं जिनके विरुद्ध कोई लड़का

कोई मुजाहरा नहीं करता, कोई प्रदर्शन नहीं करता, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश के युवक, युवा-पीढ़ी, प्रतिष्ठा करना चाहती है, मान-सम्मान करना जानती है लेकिन मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये हमको और आपको उन्हें गिराना नहीं चाहिये। उन्हें गिराये नहीं। एक अजीब नारा लगता है, चाहे विश्व-विद्यालयों में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे पार्लियामेंट के अन्दर हो, कि बुजुर्ग लोग समझते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा तो होनी ही चाहिए चाहे वह काम कितना ही गलत करते हों।

श्री सारकेश्वर पांडे : ऐसा हमारे लिये न कहिये, इससे हमें ठेस पहुँचती है, हम भी बुजुर्ग हैं।

श्री चन्द्र शेखर : आप भी बुजुर्ग हैं, महोदय।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब में बाँट दीजिये, खाली आप ही न खाइये।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी भारतीय परम्परा में बुजुर्गों की इज्जत होनी चाहिये लेकिन बुजुर्गों की इज्जत व्यक्तिगत मामलों में है, जब बुजुर्ग लोग एक राजनैतिक और सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तो उनको हमें यह बताने के लिये विवश होता पड़ता है कि युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप योग्य कार्य कर रहे हैं या नहीं, मौका जो है, हलत जो है उन हलत के मुताबिक उनका काम है या नहीं, उनके मुताबिक वह अपना फर्ज-अंजाम दे रहे हैं या नहीं, अगर हलत के मुताबिक अपने फर्ज-अंजाम बुजुर्ग लोग नहीं करते तो नौजवानों के लिये कमी कमी भज-बूरी हो जाती है, उनको मजबूर हो जाना पड़ता है कि अपनी आवाज को बुलन्द करें। मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जानता हूँ। यह वह विश्वविद्यालय है जिस पर किसी भी देश को गर्व होना चाहिये। 1930-31 से लेकर 1942 तक के युग में जिनका बड़ा, नुम-याँ, हिस्सा उसका हमारी मक्क को आज-दी की तहरीक में हुआ...

**श्री महावीर प्रसाद शुक्ल :** 1920 से ले कर ।

**श्री चन्द्र शेखर :** 1920 से ले कर 1942 तक, वह शायद दुनिया के किसी मुक्त के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायगा, वह सुनहरे पन्नों में रहेगा ।

**श्री टी० एन० सिंह (उत्तर प्रदेश) :** काशी विद्यापीठ को मत छोड़िये, कम से कम ।

**श्री चन्द्र शेखर :** श्री टी० एन० सिंह कह रहे हैं कि मैं काशी विद्यापीठ को नहीं छोड़ सकता, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जिन नेताओं से मैं परिचित हुआ हूँ, एक ही आदमी को मैंने अपना नेता माना है और आचार्य नरेन्द्र देव जी है, तो मैं काशी विद्यापीठ को तो नहीं भूल सकता । लेकिन अगर कोई वाईसचांसलर, कोई अध्यापक आर० एस० एस० की रैली अटैन्ड करने लगे . . .

**श्री तारकेश्वर पांडे :** और लोगों के सम्पर्क में भी आप आये तो उन्हें भी आप नेता माने ।

**श्री चन्द्र शेखर :** आपके भी सम्पर्क में आया हूँ, नेता कैसे मानूँ, जब विद्यार्थी था तब उनको नेता मानता था, जब से राजनीति करने लगा तब से नहीं ।

(Time bell rings)

तो, महोदय मैं कह रहा हूँ कि ये परम्परायें टूटनी चाहियें और इन परम्पराओं को तोड़ने का एक ही तरीका है कि ब्रजुगं लोग भी अन्दर के हालात को समझें और अध्यापक लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि आपसी गुटबाजी को विद्यार्थियों के अन्दर वह न ले जाय ।

महोदय, यह सही नहीं है, जो भी व्यक्ति समाज में यह बात फैलाना चाहते हैं कि विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की वजह से ही समाज बिगड़ रहा है या टूट रहा है, वह गलत है, मिथ्याचार है । मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह समाज टूट रहा है तो अनुशासनहीनता अध्यापकों के स्तर से शुरू होती है, गुटबाजी वहाँ से शुरू होती है और अध्यापक लोग उस गुटबाजी को विद्यार्थी तक ले जाने की कोशिश करते हैं । मेरा विश्वास है कि थोड़े दिनों में

विद्यार्थी इतने सजग और सचेत हो जायेंगे कि उनसे भी वह प्रभावित नहीं होंगे । इसलिये आवश्यक है कि विश्वविद्यालय यूनियन को काय करने का मौका दिया जाना चाहिये, उनका चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिये ।

एक ओर निवेदन शिखा मंत्री महोदय से करूँगा कि इस वाईस चांसलर महोदय ने बहुत से विद्यार्थियों को निष्काशित कर दिया और साथ ही साथ जिस दिन तक वह त्यागपत्र दे रहे थे उस दिन तक उन्होंने नियुक्तियाँ भी कीं, तो जिन विद्यार्थियों को उन्होंने निष्काशित किया उनको वापस बुलायें और जो नियुक्तियाँ जाते समय उन्होंने कीं उनकी जरा जांच कर लें कि ये कैसे हुई । ये थोड़े से काम हों तो शायद उस विश्वविद्यालय के वातावरण को हम फिर से ठीक कर सकें और मैं अभिनन्दन करना चाहूँगा इस समिति का जिसने कि यह रिपोर्ट दी है । महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि न्यायपालिका जिस समय स्थिर-स्वाधी की रक्षा करती है उस समय हमारे मित्र न्यायपालिका के हकदार बन जाते हैं, हमारा बन जाते हैं और जिस समय न्यायपालिका इनके कुकृत्यों का भंडाफोड़ करती है उस समय न्यायपालिका के विरुद्ध मिथ्या-रोप लगाते हैं, इस प्रवृत्ति का विरोध हो तो वह शायद देश की सियासत को, देश के भविष्य को समझ सकेंगे और देश की राजनीति में कोई रोल अदा कर सकेंगे । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Shri Bhan-dari.

SHRI ABID ALI : Is he going to reply ? Is the debate over ? I had given my name yesterday morning . . .

SHRI JAGAT NARAIN (Har-yana) : I also gave my name.

SHRI ABID ALI : ... and since then you have called some friends who gave their names after me. Why are you omitting me? Some of the hon'ble Members who spoke yesterday submitted their request after I submitted mine.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) Mr. Abid Ali, there are still four names. And from the other side also there are two or three names. The Minister was to be called at 4 O'Clock. Now, as you see, it is 4-35. However, I am in the hands of the House. If the House wants that I should continue the debate, I would continue. I am very sorry, Mr. Abid Ali, I could not call you. I could not call Mr. Asad Madani. I could not call Mr. Bhargava. I could not call Mr. Rizaq Ram, Mr. Prana\*b Kumar Mokherjee and Mr. Jagat Narain. But if the House wants to continue the debate I am in your hands.

**श्री राजनारायण :** उन सब को बुलाइये बड़ा इम्पोर्टेंट मेजर है, थोड़ा थोड़ा समय दीजिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I am in the bands of the House.

SHRI ABID ALI: My request to you was that Members on the Opposition have been allowed indefinite time. One individual hon'ble Member was allowed 100 minutes. To another you allowed 65 minutes. Please see the time taken by the Opposition and the time taken by Members on this side. We got very little time. Please see the timing. Therefore, some of us are entitled to speak on it.

SHRI T. N. SINGH : Sir, I see some force in what Mr. Abid Ali said. Members on this side are not getting a fair treatment. Of course, I realise your difficulty. You are responsible to regulate the time. But may I suggest, through you, Sir, that Members on the other side should be considerate enough not to make long speeches of one hour or more so that others should also get a chance. They are also Members of this House. They have also got some views to express. They are not here only to come and go away.

**श्री राजनारायण :** कौन कहता है ।

SHRI T. N. SINGH : I am making this appeal specially to Mr. Rajnarain to be considerate to his colleagues. We are not here as opponents. We are colleagues.

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, मैं बहुत उदार हूँ, श्री टी० एन० सिंह को एक घंटे का समय और दे दूँ, मैं चाहता हूँ कि उनकी बात आपके सामने आ जाय, उनके दिल में दर्द बाकी रह गया है ।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : I submit it is a very reasonable demand. Let Members from both sides speak. Let Mr. Abid Ali speak. The Minister can reply a little later. If the Congress Party does not settle its affairs with the Minister we cannot help it. The Minister belongs to them.

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (PROF. V. K. R. V. RAO) : The hon'ble Members are smelling rats everywhere.

SHRI T. N. SINGH : This is not so. This question is not to be settled on the basis of Opposition or Treasury Benches.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I fully appreciate what Mr. T. N. Singh and Mr. Abid Ali said. But in the interest of democracy sometimes you have to give a little consideration to others. We have to give some more consideration to the others.

SHRI ABID ALI : How much ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : We have to give some more consideration to the Opposition.

SHRI ABID ALI: Agreed; but how much ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : That is one thing. The other thing is that we do not follow a bad example. We can only request them. We can only appeal to them. But there are in the family some children to whom you have to show some consideration.

SHRI BHUPESH GUPTA: This democracy is nothing if it is not talkative. Therefore, you call him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Is it the plea-



sure of the House that I should continue the debate?

SHRI ABID ALI : Of course.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आबिद अली  
साहब को बोलने दीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : If I call Mr. Abid Ali, then I must call others also. All right, I will request members to whom I give an opportunity not to take more than 10 minutes. Now, Mr. Pranab Kumar Mokherjee.

SHRI PRANAB KUMAR MOKHERJEE (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I support this Bill. The Report of the Inquiry Committee is with us and much has been said on this side and that side about the Report. We need not go into the details of the Report. But the fact is that in the campus of the Banaras Hindu University for a pretty long time undesirable and ugly incidents took place. It is no use fixing the responsibility on either of the students' groups. But the fact is that certain undesirable incidents took place in the university campus. And it is also a fact that those who were in charge of the university, those who were to maintain and uphold the academic sanctity, had failed to do so. So the Inquiry Committee was appointed and the Report of the Inquiry Committee is with us. In view of the said Inquiry Committee Report, the Education Minister has brought this Bill to bring about a change in the administrative set-up of the Banaras Hindu University. My humble submission is that this Bill is not free from lacunae and what has been stated in the objects of the Bill cannot be properly fulfilled with the help of this Bill. Sir, if normal condition is to be restored in the academic arena of the Banaras Hindu University, I must say that some changes should be made in the university. The main problem is with regard to the students. The students created a deadlock. They had no sympathy, they had no trust in the management. And even in the Bill we find that the Court has no representation of the students. The other day the Minister was saying that experts are examining various aspects of the association of the students with the university. My

humble submission is this, let the experts examine the various aspects. But I would like to request the Minister to make some arrangements so that there will be students' representation in the Court of the Banaras Hindu University. Otherwise, normal conditions cannot prevail in the said university. My humble submission is that the Kothari Commission itself has suggested that it is desirable and advisable to take students in the Courts of the different universities and in the Academic Councils. So we need not wait for the further examination of the experts. There should be an arrangement so that some students' representatives are taken into the Court of the Banaras Hindu University.

My another submission is that with nominated bodies like these, the autonomy of the university will be curtailed to a great extent. It has been provided in the Bill that the Visitor will nominate the members of the Court and the members of the Executive Council. No specific provision has been made that educationists and teachers will be taken into the said bodies. Sir, we all know that the Visitor cannot act according to his discretion. He will have to depend on the advice of the Ministry and with my best respect to the Minister concerned, I must say that occasionally the Ministry is not guided by prudence but by political considerations. We know that even during the regime of Mr. Mohamed Currim Chagla, when he was the Education Minister, some undesirable elements represented the Government of India in a premier and internationally famous university like the Visva Bharati University. I know one particular gentleman nominated by the Government of India to represent them in the Court of the Visva Bharati University had no academic distinction. Those things can be repeated here in this university. So my submission is that there should be a categorical and specific provision in this Bill that at least 50 per cent, would be teachers in the Executive Council. If the Education Minister changes some of the provisions and makes specific arrangements that teachers of the Banaras Hindu University will be taken in the Executive Council, I think the Bill would help to restore normal conditions there.

[Shri Pranab Kumar Mokherjee]

Then, it has been arranged in the Bill that the Vice-Chancellor will be selected by a committee nominated by the Visitor. A committee of the three persons nominated by the Visitor will select the Vice-Chancellor. My humble suggestion to the Education Minister through you, Sir, is that the Chairman of the University Grants Commission should be taken in this particular selection committee because the Vice-Chancellor of a premier university is going to be selected and the selection committee will be formed according to the advice of the Education Minister. Naturally I would like to point out that if they are guided by political considerations, there should be a safeguard in the Bill that at least one academic man, one educationist, *i.e.* the Chairman of the University Grants Commission, will be *ex-officio* member of the selection committee.

Much has been said about the name "Hindu". My humble submission is that denominational name of any academic institution is not consistent with the principles of secularism. Sir, India is a secular State and as a secular State, I must submit, no academic institution, whatever be its tradition and heritage, should get any financial aid or assistance if it has any denominational name. It is inconsistent with the principles of secularism. Therefore, it is of no use to insist that the word "Hindu" should be added to the name of the Banaras University or that the word "Muslim" should be added to the name of the Ali-garh University. These should be renamed as they are Centrally sponsored universities. They may be re-named after their founders. So, my submission is that these things are inconsistent with the principles of secularism.

My last submission is that too much emphasis has been laid upon nomination. The Minister has said that it will be a temporary measure and it will not last long. But it has been arranged, as far as the tenure of the Vice-Chancellor and of the Rector is concerned, that they will remain in office for three years. In this respect, my submission to the Education Minister is that he should re-think about these two provisions. The tenure of the Vice-Chancellor under the parent Act was five years,

It has been cut down to three years. And not only that, Sir, the Rector will be appointed on the recommendation of the Vice-Chancellor. So, it has been provided in the Bill that the tenure of the Rector will be linked up with the tenure of the Vice-Chancellor. I think this is nothing short of absurdity. The Rector is a man of high position. He serves a useful purpose in the university. If the Vice-Chancellor is taken away from the University, if he is removed, or if he is relieved—whatever may be the language—the Rector may be removed from his position. I do not think there is any justification for this. These things should not be linked up. My humble submission to the Education Minister is, let the Rector of the University have a specific period of time; let it be four years. Even the tenure of the Vice-Chancellor should be four years, because a period of three years is too inadequate. A man going to a new university cannot take responsibility and cannot make his own schemes and plans to run the university in a proper and fair manner in the short period of three years.

With these submissions, I conclude. Thank you, Sir.

SHRI ABID ALI : Sir, fortunately the Education Ministry has been presided over all these years after independence by distinguished citizens of India and still, Sir, very unfortunately its functioning and performance has not been satisfactory. Not that I say it today. I have been submitting this for more, than ten years. What we are seeing today amongst the students, the teachers and others has not resulted from the happenings of one day or two days. But all along our education system has been very much of a lower standard and nowhere near the standard required for the building up of those principles for which India and the Indian culture stand. Several years ago I reminded the Education Minister that still books printed in London by Macmil'an were being used in India. And they continue to be used now. Then, how do you expect our children to have a feeling that all that is possessed in this country belongs to them ? The Government can be changed. The Prime Minister can be changed. The Congress Party can be defeated. They have a right, They have been

given that right by the Constitution. But so far as the country is concerned, there are these trains, the telegraph lines, the telephones, and so many other things, all of which belong to them. These are all their property and in their own interest this property should be safeguarded by them. But we have not taught them this feeling. Basically, of course, they are Indians and they are patriots. But there are certain things which they have to be told and told systematically, consistently, persistently so that these things which are happening in the country should not happen. How many times have requests been made for the appointment of a commission for settling textbooks, standard text-books? That has not been done. What is the use of blaming the students? We ourselves deserve to be punished and punished very severely for what is happening today in the country. I hope at least now the honourable Minister will take the necessary steps. I know it cannot be done in a day or in a month or in a year. It is a long process. But let him start the process and ensure that the standard of text-books is changing, that our students are given books which they should read.

The students should have respect for } religion. Not that I say that I should } read about Islam or I should read about Hinduism. But unfortunately in the text-books prescribed for the lower standards there are lessons which give all bad names to the heads of some of the religions. Those things should not be read by our children in schools. How much attempt had to be made by me individually requesting the Chief Ministers concerned to remove those lessons from the text-books ? It was very unfortunate and I do not know what big price this nation will have to pay for these misdeeds of the Education Ministry, the Education Departments and others concerned, in this country ?

Sir, too much of politics and too much of communalism have entered the Indian universities. I hope and wish that the honourable Minister will stop this year onwards giving aid to the universities and colleges where communalism or too much politics or too much violence is being advocated. For all these ills they say they are the teachers because of whom all this is happening. Students are to be blamed, of course, because they follow all bad examples, but teachers are also responsible. What has become

of the examinations in this country ? If a student or an examinee is prevented from copying or reading from the textbooks which he takes in his pocket which is a crime, those persons supervising the examination are beaten up. The student wants freedom for it. If you ask him why he wants freedom, he will say this is the age of freedom, freedom everywhere, freedom for everything. Even when he commits a theft, he wants freedom . . .

SHRI DAHYABHAI V. PATEL  
(Gujarat) : No, conscience.

SHRI ABID ALI : All right, conscience. They want freedom for that purpose. And if anybody catches the student while copying, the person who catches him is beaten up. So, that kind of freedom for copying, the teachers are giving them, otherwise, the teachers will be beaten up . . .

(Interruption by Shri Rajnarain)

^H W j> I Then there is another thing, Sir, and that is about provincialism which seems to be there to a greater extent. To check it to some extent at least there should be exchange of professors, teachers, principals, from one province to another as it is done in the case of High Court Judges. Of course, in Bombay we have a Madras principal and a Bengali principal. But they are residents of Bombay and they have become Bornbayites. What I would suggest is that a Bengali should go to Bombay, a Bombay man should go to Madras, a Madras man should go to Punjab. So, this sort of exchange of professors and teachers would help national integration.

(Interruptions)

Then, Sir, one request has been made that those students who were sent away by this principal should be taken back. Their cases should be examined. Not that everybody who was sent away should be taken back. It should be examined as to why they were sent away. One thing, Sir, you may be knowing also that there are students who are in the colleges for a number of years. They are not appearing for any examination

Hindu University (Amdt.)  
Ordinance, 1969

(Amdt.) Bill, 1969

[Shri Abid AH]

Still for the purpose of serving some political parties, some communal parties, they are continuing in the colleges and universities. They are not concerned with education. So, there should be some authority, there should be some system, there should be some rule by which after a certain number of years no one should be allowed to stay in the college unless one is genuinely prosecuting one's studies.

One more thing, Sir. In some of the universities the presidents of the students' unions automatically become the presidents of the workers' unions, the *karmchari* unions. That should be stopped immediately.

These are some of the things which I wanted to suggest. Of course, there is so much to be said with regard to our educational system. But I am afraid of your bell, Sir, and I am sitting down. Thank you.

**श्री जगत नारायण :** उपसभाध्यक्ष महोदय, जब मैं श्री टी० एन० सिंह जी की तकरीर सुन रहा था तो उस समय वे बड़ी दर्दनाक आवाज में कह रहे थे कि यह बड़े अफमोस की बात है कि आज बनारस यूनिवर्सिटी बन्द पड़ी हुई है। तो उस वक्त मुझे अपने स्कूल का वक्त याद आ गया। मैं उस वक्त लायलपुर में विद्यार्थी था। उस समय वहाँ पर पं० मदन मोहन मालवीय जी आये थे और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा प्रभावशाली व्याख्यान दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं एक नये एजुकेशन के टेम्पुल की बुनियाद रख रहा हूँ, एक शिक्षा मंदिर की बुनियाद रख रहा हूँ जिसमें प्राचीन शिक्षा भी दी जायेगी और नवीन शिक्षा भी दी जायेगी और साथ ही साथ इसमें टेक्नीकल शिक्षा भी दी जायेगी। अभी तक लोगों को आगे शिक्षा के लिए बिलायत जाना पड़ता था और अब इस मंदिर के खुल जाने से किसी भी हिन्दुस्तान के विद्यार्थी को वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए वहाँ पर इस चीज की बुनियाद रखी गई।

जब लोग बनारस जाते हैं तो वहाँ के घाटों और मंदिरों के साथ साथ वहाँ पर जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसको भी देखते हैं। जब मैं 40 साल पहले बनारस गया था तो घाटों और मंदिरों को देखने के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी को भी देखा था। इस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारी शिक्षा का एक बड़ा भारी केन्द्र बन गया है। वह शिक्षा का एक मंदिर बन गया है। उसकी हालत को ही सुधारने के लिए आज यहाँ पर

5 P. M.

यह बिल लाया गया है। इस बिल को देख कर मैं यह समझता हूँ कि यह ठीक है कि विजिटर को सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी वह हमारे शिक्षा मंत्री की होगी, क्योंकि इस सिलसिले में जो कुछ करना है वह शिक्षा मंत्री को करना है, विजिटर को नहीं करना है। इसलिए यह जो सारा ट्रायल होना है वह शिक्षा मंत्री को होना है कि वह कैसे वाइस चांसलर को नियुक्त करते हैं, किस तरह का नामिनेशन करते हैं और किस तरह से वह उसके साथ डील करते हैं। जब तक इसके लिए वे पूरा प्रबन्ध नहीं करेंगे और वहाँ अच्छे से अच्छे वाइस चांसलर को नहीं नियुक्त करेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का भला नहीं होगा। मेरा यह ख्याल है कि वहाँ किसी ऐसे वाइस चांसलर को नियुक्त करना चाहिए जिसका बनारस के छात्रों से कोई सम्बन्ध न हो, वह वहाँ का पढ़ा हुआ न हो क्योंकि जिस आदमी का वहाँ पर कोई सम्बन्ध नहीं होगा, जिस आदमी का वहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं होगा वही वहाँ पर ज्यादा कामयाब होगा इसलिए मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब ऐसे लोगों को नामिनेट करें जो कि निष्पक्ष हों जिनका किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक न हो। जब वह ऐसा करेंगे तभी वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हालत को बेहतर कर सकेंगे वरना मैं यह समझता हूँ कि यह जो शिक्षा मंत्री

का ट्रायल हो रहा है इसमें वह भी फेल हो जायेंगे। मैं यह भी समझता हूँ कि इस ट्रायल के लिए शिक्षा मंत्री काफी लम्बा समय ले रहे हैं। उन्होंने 3 साल का समय चाहा है। मैं समझता हूँ कि उनको साल डेढ़ साल का श्री महेश्वर नाथ कौल (नाम-निर्दिष्ट) : यह हाउस में यहाँ कहा गया है।

श्री जगत नारायण : तो उन पर एक ही इल-जाम लगाया गया है और वह यह है :—

He lost the confidence of the teachers.

श्री महेश्वर नाथ कौल : यह हाउस में भी कहा गया था। इसमें कौन नई बात है ? यहाँ पर कई तकरारें भी बहुत व्यापक रूप से हुई हैं। राजनारायण जी को यह पता होना चाहिए कि डा० ए० सी० जोशी तीन साल तक हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी थे जब मैं पंजाब में शिक्षा मंत्री था, मुझे उनके नज़दीक रहने का मौका मिला है। मैंने राजनारायण जी से पहले भी यह कहा था कि आप उन पर भ्रष्टाचार का इलजाम नहीं लगा सकते हैं, आप उन पर गबन का इलजाम नहीं लगा सकते हैं। या उन पर आप यह इलजाम नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने कत्ल करवाया होगा। यह जो रिपोर्ट दी गई है उसमें उन पर सिर्फ एक ही इलजाम लगाया गया है, सिर्फ एक ही बात कही गई है कि जो इस तरह है :—

"Therefore, the conclusion to which we had been driven with deep reluctance and regret is that the Vice-Chancellor has now lost the confidence of the overwhelming majority of the university community consisting of students and teachers."

श्री जगत नारायण : अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा न जनसंघ से कोई ताल्लुक है, न कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक है और न एस० एस० पी० से कोई ताल्लुक है। मगर मैं राज-नारायण जी से एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि डा० जोशी से पिछले दो साल से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। जब वह बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी जाने लगे थे तो मैंने उनसे कहा था कि आप बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में मत जाइये क्योंकि वहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा गड़बड़ चल रहा है कि आपको वहाँ बहुत दिक्कत पेश आयगी। उस पर उन्होंने कहा था कि आपको पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से पंजाब यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, जब यूनिवर्सिटी को रीहैबिलिटेड किया और मैं वहाँ पर भी कामयाब होऊँगा।

श्री राजनारायण : 1942 में भी वह वहाँ पर थे।

श्री जगत नारायण : तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मैंने उनको वहाँ जाने से मना किया था लेकिन वह नहीं माने और वहाँ गये और उसका जो नतीजा हुआ वह सबके सामने है।

श्री महेश्वर नाथ कौल : आप उनको गलत समझते थे . . .

श्री जगत नारायण : मैंने उनसे कहा था कि आप वहाँ मत जाइये क्योंकि वहाँ सोसो का गढ़ है उसके आप जरूर शिकार बनेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक उनका ताल्लुक है वह न जनसंघी है, न आर० एस० एस० के हैं। वह सिर्फ एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं।

श्री महेश्वर नाथ कौल : स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी फेल कर गये।

श्री जगत नारायण : जो स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वह कई दफा कामयाब भी होता है और कई दफा फेल भी होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में वह कामयाब रहे, लेकिन बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में वह कामयाब नहीं हो सके।

[श्री जगत नारायण]

मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनमें कोई नुकस नहीं है।

मैं वजीर साहब से निहायत अदब के साथ यह कहूंगा कि अगर वाकई आप यह चाहते हैं कि आप बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को ठीक करें तो आपको दूसरे ढंग से काम करना पड़ेगा। एक दो मिनट लेकर मैं एक वाक्य इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि आप इस देश के बहुत बड़े शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन मैं भी एक छोटा सा शिक्षा मंत्री रह चुका हूँ। मुझे भी ऐसे ही एक स्कूल से वास्ता पड़ा था जहाँ पर तीन यूनियनें थी और बहुत ही गड़बड़ चल रहा था। वह एक गर्ल्स हाई स्कूल था और उसकी हैड टीचर बड़ी लड़ाकी थी और एक वजीर के साथ उसकी रिश्तेदारी भी थी। वह स्कूल ठीक तरह चल नहीं रहा था। फिरोजपुर का वह गर्ल्स स्कूल था। मेरे पास उसकी बहुत सी शिकायतें आईं और मुझसे यह कहा गया कि आप उसको ठीक करवाइये। पहले जब मैं एज्युकेशन मिनिस्टर की हैसियत से गया तो वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मालूम हो सका। बाद में मैंने आपने कपड़े उतार दिये और खद्दर के कपड़े पहनकर मैं एक लड़की को वहाँ पर दाखिल कराने के लिये ले गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ सारी टीचरें बैठी हुई थीं। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी बच्ची को दाखिल कर लीजिए। लेकिन वह अपनी गुफ्तगू में मशगूल रहीं और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है। मैंने फिर उनसे लड़की को दाखिल करने को कहा लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बीच में वहाँ के डी० सी० को यह पता लग गया कि मैं वहाँ पर आया हुआ हूँ। वह भाग करके आया और उसने जब मुझे सलाम किया तो उसके बाद सारा राज फाश हो गया। उसके बाद मैंने स्कूल को छूट्टी दे दी और तमाम टीचरस् को और हैड मिस्ट्रेस को वहाँ पर बैठा कर उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया और यह सिलसिला शाम के 6 बजे तक जारी रहा। उस वक्त यही जोशी साहब हमारे एज्युकेशन

सेक्रेटरी थे। मैंने उनसे टेलीफोन पर कहा कि उस स्कूल में जितना भी स्टाफ है उस सारे को फौरन तब्दील कर दो। उस पर जोशी जी ने कहा कि आप यह कैसा अजीब आर्डर दे रहे हैं। ऐसा तो आज तक कहीं एज्युकेशन की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इस तरह से कहीं का सारा स्टाफ हटा दिया जाये लेकिन बाद में वह सारा स्टाफ वहाँ से हटा दिया गया और अब आप देखिए कि फिरोजपुर का वह गर्ल्स हाई स्कूल आज भी कितनी अच्छी तरह से चल रहा है। यह कहने का मेरा मतलब यह है कि वाकई अगर आप चाहते हैं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में सुधार हो तो वहाँ पर जितने भी ऐसे एलीमेंट्स हैं जो शरारत करते रहते हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाय। मैं यह नहीं कहता कि जैसा मैंने किया उसी तरह से आप भी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का सारा स्टाफ हटा दें क्योंकि वह एक बहुत बड़ी संस्था है और वहाँ से सब को हटाना मुमकिन नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ शरारत करने वाला जो अनासिर है, वह चाहे टीचर्स में हो, प्रोफेसरस् में हो या कि ी में हो, जब तक उसको वहाँ से नहीं हटाया जायगा तब तक बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में वह शान नहीं लाई जा सकती है जो पंडित मदन मोहन मालवीय के जमाने में थी। अगर आपने सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ किसी को वाइस-चांसलर बनाकर भेज दिया तो वहाँ वह पर कामयाब नहीं हो सकेगा। उसी तरह से कुछ बाडीज ो सिर्फ नामिनेट करके भी वहाँ सुधार नहीं लाया जा सकता है। हमारे शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि हम यह बिल इसलिए लाये हैं कि हम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को अपनी पुरानी शान दिला सकें लेकिन मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि वहाँ वह पुरानी शान तब तक नहीं आयेगी जब तक आप वहाँ से उस एलीमेंट को बीड आउट नहीं करेंगे जो कि उसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है यूनिवर्सिटी में जो शरारत करने वाला अनासिर है जो यूनिवर्सिटी को तबाह करने वाला अनासिर है उसको जब तक आप मजबूती के साथ वहाँ से नहीं हटायेंगे तब तक

आप बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को अपनी पुरानी शान दिलाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे।

**श्री सुन्दर सिंह भंडारी :** चेयरमैन साहब, अब 5 बज गये हैं इसलिये हाउस को स्थगित करना चाहिये।

**श्री राजनारायण :** 5 बज गये हैं अब खत्म कीजिए।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : We have taken a very long time for consideration of this Bill and I would request you to co-operate now. I gave opportunity to the other friends and I have asked the Minister also to reply to-day so that the first reading may be finished today, and it was suggested that we would sit up to 6 O'Clock.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JAISUKHLAL HATHI) : When we can hear Members for fifty minutes and sixty minutes, as soon as 5 O' Clock is over, if you do not sit

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI : It is not the responsibility of this side.

SHRI JAISUKHLAL HATHI : It is the responsibility of the whole House.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI : No.

SHRI JAISUKHLAL HATHI : why not?

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI : Regulation of time depends upon the Chair and nobody is to be allowed to speak a minute more than the Chair permits.

SHRI JAISUKHLAL HATHI : It is all right, but unless everybody cooperates, it is very difficult.

**श्री राजनारायण :** हमको बैठने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन आज हमने 6 बजे का समय दे रखा है। पहले से समय तय कर दीजिए। अगर यह मालूम रहता कि हमको 6 बजे तक बैठना है तो हम तैयार होते।

**श्री ओम् मेहता (जम्मू और काश्मीर) :** जाने दीजिए।

**श्री सुन्दर सिंह भंडारी :** अगर आप इस तरह तय करना चाहते हैं कि हम लोग माने या न माने आप अपनी मर्जी से समय बढ़ाएंगे, मर्जी से सदन का समय घटाएंगे अगर इसी तरह की परिपाटी चलाना चाहते हैं तो फिर आगे भी...

**श्री जयसुख लाल हाथी :** भंडारी जी, परिपाटी चलाने की बात नहीं। जब अपोजीशन के मम्बर ज्यादा बोलते हैं...

**श्री सुन्दर सिंह भंडारी :** अपोजीशन के नाम पर सबको लपेटने की कोशिश मत कीजिए। इस तरह की चीजों में आप इस तरह का आक्षेप लगा कर हमारा समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते।

**श्री जयसुखलाल हाथी :** मैं आपकी बात नहीं करता लेकिन दूसरे बोलते तो हैं।

**श्री राजनारायण :** अनावश्यक बात से कोई फायदा नहीं होगा। जितना उचित है सब बोलते हैं।

**श्री जयसुखलाल हाथी :** उचित एक घंटा है।

**श्री राजनारायण :** बेमतलब कहने से कोई फायदा नहीं है। हम बैठने के लिये तैयार नहीं हैं।

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI : It is time for the adjournment of the House. That is what I want to say.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : But the House desires, it seems, that it should continue. Now let me ask the House. Is it the wish of the House?

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** उपसभाध्यक्ष महोदय...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Let me ask the House. Please sit down.

**श्री राजनारायण :** हम कह रहे हैं.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I am on my legs. Please sit down. You please sit down, I am standing. Now I am in the hands of the House. I put it to the House. Is it the desire of the House that we should continue?

SEVERAL HON. MEMBERS: No, no.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : (Seeing the sense of the House). The House stands adjourned till

A.M. tomorrow.

The House then adjourned at eleven minutes past five of the clock till eleven of the clock on

Wednesday, August 20, 1969.